



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 17 मई, 2016

बैशाख 27, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 742/79-वि-1-16-1(क)-7-2015

लखनऊ, 17 मई, 2016

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा विधेयक, 2015 पर दिनांक 02 मई, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम, 2015

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2016)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, एवं उससे सम्बन्धित दन्त विज्ञान, पैरामेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज एवं कालेज ऑफ फार्मसी, जो सैफई, इटावा में स्थित है, को हस्तान्तरित करके उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से एक आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करने एवं उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम, संक्षिप्त नाम और 2015 कहा जायेगा। प्रारम्भ

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

परिभाषाएं

2-इस अधिनियम में, -

(क) "विद्या परिषद"; "व्यवस्थापक बोर्ड" और "कार्य परिषद" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के विद्या परिषद, व्यवस्थापक बोर्ड और कार्य परिषद से है ;

(ख) नियत दिनांक का तात्पर्य धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के दिनांक से है;

(ग) 'दन्त चिकित्सा' और 'चिकित्सा' के अर्थ वही होंगे जो उनके लिए क्रमशः दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 और भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1956 में समनुदेशित है

(घ) 'संकाय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी संकाय से है;

(ङ) 'छात्र निवास' का तात्पर्य छात्रों के निवास हेतु एक ऐसी इकाई से है, जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित या मान्यता प्राप्त हों;

(च) 'विहित' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(छ) 'रजिस्ट्रीकृत स्नातक' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी स्नातक से है;

(ज) 'परिनियम', 'अध्यादेश और 'विनियम' का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश और विनियम से है;

(झ) 'अध्यापक' का तात्पर्य ऐसे अध्यापक से है जो विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण या अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन या संचालन के लिए नियोजित हो;

(ञ) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा से है।

अध्याय—दो

विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय की
स्थापना एवं
निगमन

3-(1) ऐसे नियत दिनांक पर और से उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा के नाम से एक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) यह विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

विश्वविद्यालय को
चिकित्सालय का
अन्तरण और
आस्तियों का
उपयोग

4-(क) नियत दिनांक पर, -

इटावा जिले के सैफई में स्थित उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा के समस्त चिकित्सालय, मेडिकल कालेज, पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय, कालेज आफ नर्सिंग, कालेज आफ फार्मसी, ट्रामा सेन्टर एवं सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय जो राज्य सरकार में निहित है, वे विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित हो जायेंगे।

(ख) संस्थान के समस्त अधिकारी, अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी विश्वविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक एवं कर्मचारी के रूप में पदस्थापित होंगे जैसा कि विहित किया जाये।

विश्वविद्यालय के
उद्देश्य

5-विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-

(क) चिकित्सा और दन्त चिकित्सा, पैरामेडिकल विज्ञान, नर्सिंग एवं फार्मसी में ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना और उसमें दक्षतापूर्ण एवं व्यवस्थित शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण और अनुसंधान सुनिश्चित करना;

(ख) विद्यमान संस्थाओं को उन्नत करके एक बहुआयामी अति विशिष्ट हास्पिटल एवं ट्रामा सेन्टर की व्यवस्था करना और उन्हें आकृष्ट केन्द्रों के रूप में स्थापित करना एवं हास्पिटलों में रोगियों के उपचार की व्यवस्था करना;

(ग) अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक केन्द्र स्थापित करना;

(घ) पैरामेडिकल मानव संसाधन हेतु एक पैरामेडिकल प्रशिक्षण केन्द्र का विकास करना;

(ङ) पैथालाजी प्रयोगशालाओं, डाइग्नोस्टिक सेन्टरों और रक्त बैंकों एवं अन्य परिसरीय विशिष्ट चिकित्सालय सम्बन्धित सेवाओं एवं सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए अस्पतालों का प्रशासन, प्रबन्धन और नियंत्रण करना;

(च) मेडिकल एवं सर्जिकल विशेषज्ञताएं एवं उपविशेषज्ञताओं के निष्पादन के लिए विशिष्ट एवं व्यष्टिक विभागों की स्थापना करना जैसे ही और जब आवश्यकता हो।

6-विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात् :-

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कर्तव्य

(क) चिकित्सा और दंत चिकित्सा, पैरामेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज एवं कालेज ऑफ फार्मसी की ऐसी शाखाओं में अध्यापन और प्रशिक्षण संस्थित करना, जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे और उन शाखाओं में ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए अनुसंधान की व्यवस्था करना;

(ख) उपाधियां, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य शैक्षिक विशिष्टियां संस्थित करना और प्रदान करना;

(ग) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देना और परीक्षाएं और परीक्षाओं को संचालित करना और उसके सम्बन्ध में शर्तों को अधिकथित करना;

(घ) ऐसे व्यक्तियों के लिये परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उन्हें उपाधियां या अन्य शैक्षिक विशिष्टियां स्वीकृत और प्रदान करना जिन्होंने, -

(एक) विश्वविद्यालय में किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो;

(दो) विश्वविद्यालय में शोध कार्य किया हो;

(ङ) परिनियमों में अधिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद उपाधियां या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना;

(च) ऐसे व्यक्तियों के लिये जो विश्वविद्यालय के छात्र नहीं हैं, ऐसे डिप्लोमा प्रदान करना, और ऐसे व्याख्यानों और अनुदेशों की व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करें;

(छ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये सहकार्य या सहयोग करना जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करें;

(ज) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अधिछात्रवृत्तियां (यात्रा करना, अधिछात्रवृत्तियों को सम्मिलित करते हुये) विद्यावृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां, पदक और पारितोषकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(झ) किसी उपाधि या डिप्लोमा हेतु अध्ययन पाठ्यक्रम के प्रवेश के प्रयोजनार्थ किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई उपाधि या डिप्लोमा को अपनी उपाधि के समतुल्य या, किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समतुल्य मान्यता प्रदान करना;

(ञ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये शिक्षण और शोध संस्थानों, अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों या अन्य आवश्यक बातों की स्थापना अनुरक्षण और प्रशासन करना;

(ट) छात्रावासों की स्थापना अनुरक्षण और प्रशासन करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये आवास के स्थानों को मान्यता देना;

(ठ) अध्यादेशों के अनुसार फीस एवं अन्य प्रभार नियत करना और संग्रह करना;

(ड) निवासियों का प्रवेक्षण एवं नियंत्रण करना और विश्वविद्यालय संस्थानों के छात्रों के अनुशासन विनसमित करना और उनके स्वास्थ्य के संवर्धन के लिये व्यवस्था करना;

(ढ) श्रेष्ठ एवं अनुसंधान कार्यों के प्रकाशन का जिम्मा लेना;

(ण) अपने अस्पतालों में रोगियों के प्रबन्धन और उपचार के लिये व्यवस्था करना;

(त) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये यथावश्यक ऐसे सभी अन्य कार्य करना चाहें वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हों या न हो;

(थ) किसी राजकीय या निजी चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, पैरामेडिकल या नर्सिंग महाविद्यालय को ऐसे रीति से और ऐसे निबंधों और शर्तों पर सम्बद्धता या मान्यता के विशेषाधिकार देना, जैसे विहित किये जाये और किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कटौती करना और ऐसे महाविद्यालय के कार्यों का मार्गदर्शन और नियंत्रण करना;

विश्वविद्यालय सभी जाति, वर्ग, मतावलम्बियों या लिंग के लिए होगा

7- जाति, वर्ग, मतावलम्बियों या लिंग के भेदभाव के बिना विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिये होगा:

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय, -

(एक) विश्वविद्यालय के अध्ययन के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता तय कर सकता है;

(दो) तत्समय प्रवृत्त राज्य सरकार की किसी विधि या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिला छात्रों और अन्य श्रेणियों के पक्ष में आरक्षण कर सकता है।

निरीक्षण जाँच और परिदर्शन

8-(1) राज्य सरकार को, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय जिसके अन्तर्गत उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला तथा उपस्कर है और विश्वविद्यालय द्वारा कराई गयी परीक्षा, अध्यापन कार्य तथा अन्य कार्य का निरीक्षण कराने का, और उसी प्रकार विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जाँच कराने का अधिकार होगा।

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कोई निरीक्षण या जांच कराने का विनिश्चय करे, तो वह उसकी सूचना कुलसचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय को देंगे, और ऐसे निरीक्षण या जांच में परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो सकेगा और उसे इस रूप में सुनवाई का अधिकार होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करने के लिये नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी जो उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित कराने के लिये तथा दस्तावेजों और सारवान वस्तुओं को प्रस्तुत करने के निमित्त बाध्य करने के प्रयोजनार्थ प्राप्त है और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उसके समक्ष कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(4) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के प्रति निर्देश कुलपति को सम्बोधित करेगी और कुलपति, राज्य सरकार के विचार और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सलाह कार्य-परिषद् को संसूचित करेगा।

(5) कुलपति तब ऐसे समय के भीतर, जिसे राज्य सरकार नियत करे उसे कार्य परिषद् द्वारा की गयी या की जाने के लिये प्रतिस्थापित कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी उचित समय के भीतर राज्य सरकार के समाधान के अनुसार कार्यवाही न करे तो राज्य सरकार किसी ऐसे स्पष्टीकरण पर, जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करे, विचार करने के पश्चात ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिये बाध्य होंगे।

(7) राज्य सरकार कुलाधिपति को, उपधारा (1) के अधीन कराये गये प्रत्येक निरीक्षण या जाँच की ओर उपधारा (5) के अधीन कुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक निदेश की ओर ऐसे निदेश पालन करने अथवा न करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट या जानकारी, की प्रतियाँ भी भेजेगी।

अध्याय—तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-

विश्वविद्यालय के अधिकारी

- (क) कुलाधिपति;
- (ख) कुलपति;
- (ग) प्रति-कुलपति;
- (घ) वित्त अधिकारी;
- (ङ) कुल सचिव;
- (च) परीक्षा नियंत्रक;
- (छ) संकायों का संकायाध्यक्ष;
- (ज) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष;

(झ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

10—(1) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति होंगे।

कुलाधिपति

(2) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर, विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे।

(3) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ होंगी जो उसे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा अधीन प्रदान की जाये।

(4) सम्मानिक उपाधि या विशिष्टियाँ प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति द्वारा पुष्टि के अध्याधीन होगी।

(5) कुलाधिपति, यदि उपस्थित होंगे, डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

11—(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलपति कुलाधिपति द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा जिनके नाम उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किये गये हों।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

- | | |
|---|-----------------------|
| (क) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार | समिति का पदेन अध्यक्ष |
| (ख) राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव या सचिव | संयोजक |
| (ग) कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय | सदस्य |
| (घ) निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ | सदस्य |

(ङ) कुलाधिपति द्वारा नाम—निर्दिष्ट एक व्यक्ति सदस्य

(3) उपधारा (7) के अधीन पदावधि समाप्ति अथवा पद त्याग के कारण, कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से यथाशक्य कम से कम साठ दिन पूर्व और जब कभी भी कुलाधिपति द्वारा अपेक्षा की जाये और ऐसी तारीख के पूर्व जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, समिति कुलाधिपति को कम से कम तीन ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी जो कुलपति का पद धारण करने के उपयुक्त हो। समिति कुलाधिपति को नाम प्रस्तुत करते समय सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की अर्हताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी किन्तु वह उसमें कोई अधिमान-क्रम उपदर्शित न करेगी।

(4) जहां कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से किसी एक या अधिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किये जाने के उपयुक्त नहीं समझता है अथवा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हो और कुलाधिपति का चयन तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो तो वह समिति से उपधारा (3) के अनुसार नये नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(5) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं की जायेगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां थी अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया जिसके सम्बन्ध में बाद में यह पाया जायें कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था।

(6) कुलपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा :

परन्तु यह कि कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्यागपत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जायेगा।

(7) इस-अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अवधारित करें।

(8) कुलपति के रूप में अपनी सेवाओं के सम्बन्ध में, कुलपति किसी पेंशन, बीमा या भविष्यनिधि के फायदे का हकदार न होगा।

(9) निम्नलिखित किन्हीं भी परिस्थितियों में (जिनके विद्यमान होने का एकमात्र निर्णायक स्वयं कुलाधिपति होगा) कुलाधिपति, किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः माह से अनधिक पदावधि के लिए जैसा वह विनिर्दिष्ट करें, कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकेगा :-

(क) जहां कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा पद त्याग या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से, रिक्त हो जाये अथवा उसका रिक्त होना संभाव्य हो, तो उसकी सूचना कुलसचिव द्वारा कुलाधिपति को तुरंत दी जायेगी ;

(ख) जहां कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे उपधारा (1) से (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न जा सकता हो;

(ग) किसी अन्य आपात में :

परन्तु यह कि कुलाधिपति इस उपधारा के अधीन कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की पदावधि को समय-समय पर बढ़ा सकेगा किन्तु इस प्रकार कि ऐसी नियुक्ति की कुल पदावधि (जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियत अवधि भी है) एक वर्ष से अधिक न हो।

(10) कुलपति की अनुपस्थिति में, प्रति कुलपति, यदि कोई हो, अथवा जहां प्रति कुलपति न हो विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य कुलपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।

(11) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते हैं।

(12) किसी जांच के लंबित या विचाराधीन रहने के दौरान कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अन्यथा आदेश न दिया जाये,-

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा किन्तु उसे वह उपलब्धियां प्राप्त होती रहेगी जिनके लिए वह अन्यथा उपधारा (8) के अधीन था;

(ख) कुलपति के पद के कार्य का संचालन, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

कुलपति की
शक्तियां तथा कर्तव्य

और,-

12-(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा शैक्षणिक अधिकारी होगा,

(क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चय को कार्यान्वित करेगा;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में प्राधिकारियों के अधिवेशनों और विश्वविद्यालयों के किसी दीक्षांत समारोह का सभापतित्व करेगा;

(घ) नए छात्रों का उनके ज्येष्ठों द्वारा किसी हिंसक या अशोभनीय रैगिंग के प्रतिषेध को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसी परीक्षाओं का परीक्षाफल शीघ्रता से प्रकाशित किया जाता है और विश्वविद्यालय का विद्या सत्र समुचित तारीख को प्रारम्भ एवं समाप्त होता है, उत्तरदायी होगा।

(2) वह कार्यपरिषद, विद्या परिषद तथा वित्त समिति का पदेन सदस्य-अध्यक्ष होगा।

(3) उसे विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के अधिवेशन में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।

(4) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे और कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उस निमित्त, आवश्यक हों।

(5) कुलपति को कार्यपरिषद, विद्या परिषद तथा वित्त समिति के अधिवेशन बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी : .

परन्तु यह कि वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(6) जहां विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला है जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही ना की जा सके तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गई कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह कुलाधिपति तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देगा जो साधारण क्रम के मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते :

परन्तु यदि उसमें परिनियमों या अधिनियमों के उपबन्धों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा अथवा उस ऐसी रीति से उपान्तरित करेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी किन्तु ऐसे निष्प्रभावीकरण या उपांतर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

परन्तु यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस तारीख से जब उसे ऐसे कार्यवाही के सम्बन्ध में विनिश्चय से संसूचित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्य परिषद कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी।

(7) उपधारा (6) में की किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक रूप से प्राधिकृत न हो और जिनकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो।

(8) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जाये।

प्रति कुलपति

13-(1) यदि कुलपति आवश्यक समझे तो विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी एक को प्रति-कुलपति नियुक्त कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रति-कुलपति अपने कर्तव्यों का पालन आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त करेगा।

(3) प्रति-कुलपति, कुलपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(4) प्रति कुलपति को कार्य परिषद द्वारा संस्तुत मानदेय मिलेगा।

(5) प्रति कुलपति, ऐसे मामलों में कुलपति की सहायता करेगा जिन्हें कुलपति समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें तथा कुलपति की अनुपस्थिति में वह विश्वविद्यालय के अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कुलपति द्वारा सौंपे या प्रत्यायोजित किये जायें।

वित्त अधिकारी

14-(1) विश्वविद्यालय के एक वित्त अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा करेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

(3) वित्त अधिकारी कार्य परिषद के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमानों) और लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालयों की ओर से निधियों को निकालने और वितरित करने के लिये भी उत्तरदायी होगा।

(4) वित्त अधिकारी को कार्य परिषद में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

(5) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, -

(क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजन से भिन्न) कोई व्यय जो बजट में प्राधिकृत न हो, न किया जाय;

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जो इस अधिनियम के उपबंधों या किन्हीं परिनियमों या अध्यादेशों के निबन्धनों का उल्लंघन करता हो;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमिततायें न की जाय और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिये कार्यवाही करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक रूप से परिरक्षण और प्रबंध किया जा रहा है।

(6) वित्त अधिकारी की पहुँच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों तक होगी तथा वह उन्हें प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से सम्बन्धित ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(7) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(8) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियाँ और कृत्य ऐसी होंगी जैसी निहित की जाय।

(9) जहां वित्त अधिकारी किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो तो उसके पद के समस्त कर्तव्यों का पालन, यथास्थिति वित्त अधिकारी के पुनः कार्यभार सम्भालने या रिक्ति के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जायेगा जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाय।

कुल सचिव

15-(1) कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) कुल सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायगी जैसी विहित की जाय।

(3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(4) कुल सचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह कार्यपरिषद का पदेन सचिव होगा और वह कार्यपरिषद के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो कार्य परिषद या कुलपति द्वारा विहित किये जायें या अपेक्षित हों किन्तु वह, इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।

(5) कुल सचिव को विनियमों द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय में किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

(6) कुलसचिव की अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगी जैसी विहित किये जायं।

(7) जहां कुल सचिव किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या कुल सचिव का पद रिक्त हो तो उसके पद के समस्त कर्तव्यों का पालन यथास्थिति, कुल सचिव के पुनः कार्यभार संभालने या रिक्ति के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जायेगा जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

16-(1) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

परीक्षा नियंत्रक

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा की जायेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की सम्यक अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें या जो कार्य परिषद या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।

(4) कुलपति के अधीक्षणाधीन रहते हुये परीक्षा नियंत्रक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा और उसे इस सम्बन्ध में कुल सचिव की सभी शक्तियां प्राप्त होगी।

(5) परीक्षा समिति के अधीक्षणाधीन रहते हुये परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उसके लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध करेगा और तत्सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक को, राज्य सरकार के आदेश के अनुसार सिवाय विश्वविद्यालय में किसी काम के लिये कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

(7) जहां परीक्षा नियंत्रक किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो तो उसके पद के समस्त कर्तव्यों का पालन यथास्थिति परीक्षा नियंत्रक के पुनः कार्यभार संभालने या रिक्ति के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जायेगा जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाय।

(8) परीक्षा नियंत्रक की अन्य शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें।

17-कुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति, वित्त अधिकारी, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक, यदि कोई नियुक्त हो, से भिन्न विश्वविद्यालय के अधिकारियों की वही शक्तियां होंगी जो विहित की जायें।

अध्याय-चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

18- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :-

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

(क) व्यवस्थापक बोर्ड,

(ख) कार्य परिषद,

(ग) विद्या परिषद,

व्यवस्थापक बोर्ड का
गठन

(घ) विज्ञ समिति,

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होने के लिये घोषित किये जायें।

19—(1) व्यवस्थापक बोर्ड में निम्नलिखित होंगे, —

(क) कुलाधिपति;

अध्यक्ष,

(ख) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार;

उपाध्यक्ष

(ग) राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव या सचिव अथवा उनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति जो सरकार के विशेष सचिव के स्तर से निम्न का ना हो;

सदस्य

(घ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन विख्यात व्यक्ति;

सदस्य

(ङ) तीन शिक्षाविद् या चिकित्सा व्यवसाय के विख्यात व्यक्ति जिसमें से दो भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा और अन्य दन्त चिकित्सा परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट होगा;

सदस्य

(च) कुलपति;

सदस्य सचिव

व्यवस्थापक बोर्ड की
शक्तियाँ और कर्तव्य

20—(1) व्यवस्थापक बोर्ड विश्वविद्यालय का मुख्य शासी निकाय होगा और उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होगी, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का यदि वे इस अधिनियम या परिनियम या अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुरूप न हों, पुनर्विलोकन करना;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण करना;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट, वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखा को अनुमोदित करना और वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन पर विचार करना;

(2) व्यवस्थापक बोर्ड समय-समय पर ऐसे अन्तरालों पर जो छः माह से अधिक नहीं होगा, ऐसे समय और स्थान पर जैसा कुलाधिपति उचित समझे, बैठक करेगा।

कार्य परिषद

21—(1) कार्य परिषद में निम्नलिखित होंगे :-

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ख) प्रति-कुलपति, यदि कोई हो;

(ग) संकार्यों के अध्यक्ष;

(घ) विश्वविद्यालय के दो ज्येष्ठतम आचार्य (संकायाध्यक्षों से भिन्न);

(ङ) कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट चिकित्सा व्यवसाय से राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के विख्यात तीन व्यक्ति;

(च) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश;

(छ) कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किसी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का प्रधानाचार्य;

(ज) निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ;

(झ) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली अथवा किसी बैठक में सम्मिलित होने के लिए उसके द्वारा नामित उस संस्थान का एक आचार्य;

(ञ) कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अथवा नामित व्यक्ति।

(2) कार्य परिषद के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी, जैसी विहित की जाय।

(3) कोई व्यक्ति कार्य परिषद का सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह या उसका संबंधी विश्वविद्यालय में अथवा उसके निमित्त किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक अथवा विश्वविद्यालय को माल प्रदान करने की या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने की कोई संविदा स्वीकार करता है:

परन्तु यह कि इस उपधारा की कोई बात किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिये अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या किसी छात्रावास के अधीक्षक या वार्डेन अथवा प्राक्टर या ट्यूटर के रूप में किन्हीं कर्तव्यों के लिए अथवा विश्वविद्यालय के संबंध में तत्सदृश किन्हीं कर्तव्यों के लिए कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा में “नातेदार” का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-6 में परिभाषित “नातेदारों” से है और इसके अंतर्गत पत्नी (या पति) का भाई, पत्नी (या पति) का पिता, पत्नी (या पति) की बहन, भतीजा और भतीजी भी है।

22-(1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उसकी निम्नलिखित शक्तियां होगी, अर्थात् :- कार्यपरिषद की शक्तियां और कर्तव्य

(एक) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण रखना;

(दो) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्ययनाधिकार से रखी गई किसी निधि का प्रशासन करना;

(तीन) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना;

(चार) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अधि-छात्रवृत्तियां निर्धन छात्रवृत्तियां, पदक और अन्य पारितोषिक प्रदान करना;

(पांच) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना और उनके कर्तव्यों और उनकी सेवा की शर्तों को परिभाषित करना और उनके पदों की अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना;

(छः) परीक्षकों की फीस, उपलब्धियां तथा यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना;

(सात) विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग, प्रशासकीय वर्ग और अन्य कर्मचारी वर्ग के सदस्यों में परिनियमों और अन्य अध्यादेशों के अनुसार अनुशासन को विनियमित और प्रवर्तित करना;

(आठ) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, सम्पत्ति, कारोबार और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध और विनियमन करना और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना, जिन्हें वह ठीक समझे;

(नौ) विश्वविद्यालय के किसी धन को (जिनके अन्तर्गत किसी न्यास या विन्यासित सम्पत्ति से होने वाली कोई आय भी है) ऐसे स्टाक, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में, जिन्हें वह समय-समय पर ठीक समझे या भारत में स्थावर सम्पत्ति को क्रय करने में विनिहित करना और समय-समय पर ऐसे विनिधान में परिवर्तन करना;

(दस) विश्वविद्यालय के कार्य को करने के लिये आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर और साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और निरस्त करना;

(बारह) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अन्य सभी विषयों को विनियमित करना और अवधारित करना।

(2) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कार्य परिषद, बन्धक, विक्रय, विनिदान, दान या अन्यथा विश्वविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्ति का (सिवाय साधारण प्रबन्ध के अनुक्रम में मासानुमास किराये पर देने के) न तो अन्तरण करेगी और न, सिवाय राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के लिये कोई सहायक अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में अथवा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य व्यक्ति से, उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी।

(3) राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना कोई ऐसा व्यय उपगत नहीं किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम या परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा ऐसा अनुमोदन अपेक्षित हो और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय अथवा राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार के सिवाय कोई भी पद विश्वविद्यालय में सृजित नहीं किया जायेगा।

(4) विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तें वही होंगे जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायें।

(5) कार्य परिषद, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए वित्त समिति द्वारा नियत सीमा से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगी।

(6) विद्या परिषद और सम्बन्धित संकायों के बोर्डों के परामर्श पर विचार किये बिना कार्य परिषद, अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं और उपलब्धियों और परीक्षकों को संदेय फीस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

(7) कार्य परिषद, प्रशासकीय परिषद के प्रत्येक संकल्प पर सम्यक विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह ठीक समझे और सभा को, यथास्थिति, की गयी कार्यवाही या संकल्प स्वीकार न करने के कारणों की रिपोर्ट देगी।

(8) कार्य परिषद, परिनियमों में अधिकथित किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को या अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को, अपनी कोई शक्ति, जिसे वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(9) कुलसचिव कार्य परिषद का सचिव होगा।

विद्या परिषद

23-(1) विद्या परिषद, विश्वविद्यालय की मुख्य विद्या निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अधीन रहते हुए :-

(क) विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले शिक्षण, शिक्षा और किये जाने वाले अनुसंधान कार्य के स्तर को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसका नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी;

(ख) विद्या सम्बन्धी समस्त विषयों पर जिनके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी हैं, कार्य परिषद को सलाह दे सकेगी, और;

(ग) उसकी ऐसी अन्य शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे, जो विहित किये जायें।

(2) विद्या परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(एक) कुलपति, जो इसका अध्यक्ष होगा;

(दो) संकाय या संकायों के संकायाध्यक्ष;

(तीन) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष;

(चार) विश्वविद्यालय के सभी आचार्य जो विभागाध्यक्ष न हों;

(पांच) शिक्षा क्षेत्र में प्रख्यात पांच व्यक्ति जो विहित रूप से समायोजित किये जायेंगे;

(छ) पांच अध्यापक जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है;

(सात) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष;

(आठ) विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष।

24— (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

वित्त समिति

- (क) कुलपति, जो इसके अध्यक्ष होंगे;
- (ख) राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव;
- (ग) राज्य सरकार के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव;
- (घ) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो;
- (ङ) कुल सचिव;
- (च) परीक्षा नियंत्रक;
- (छ) वित्त अधिकारी जो समिति का सचिव भी होगा।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कोई सदस्य वित्त समिति की किसी बैठक में स्वयं भाग लेने के बजाय राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकता है और इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को मत देने का भी अधिकार होगा।

(3) वित्त समिति कार्य परिषद को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय साधनों को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिये कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद पर आबद्धकर होगी।

(4) वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे, जो विहित किये जायें।

25—(1) विश्वविद्यालय में पाँच संकाय होंगे, अर्थात् चिकित्सा और दन्त, पैरामेडिकल संकाय विज्ञान, नर्सिंग और फार्मसी।

(2) प्रत्येक संकाय में अध्यापन के ऐसे विभाग होंगे जो विहित किये जायें और प्रत्येक विभाग में ऐसे पाठ्य विषय होंगे जो उसे अध्यादेश द्वारा सौंपे जायें।

(3) प्रत्येक संकाय का एक बोर्ड होगा, जिसका गठन (जिसके अन्तर्गत उसके सदस्यों की पदावधि भी है) तथा शक्तियाँ और कर्तव्य वही होंगे जो विहित किये जायें।

(4) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा जो आचार्यों में से चक्रानुक्रम से ज्येष्ठता क्रम में चुना जायेगा और तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा।

(5) संकायाध्यक्ष संकाय के बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह—

(क) संकाय के विभागों में अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यों के संगठन तथा संचालन; और

(ख) संकाय से सम्बन्धित परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के सम्यक पालन के लिये उत्तरदायी होगा।

(6) विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति परिनियमों द्वारा विनियमित की जायेगी।

(7) विभागाध्यक्ष अपने विभाग में अध्यापन के संगठन के लिये संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा और उसकी अन्य शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे जो अध्यादेशों में उपबन्धित किये जायें।

(8) विभिन्न पाठ्य विषयों के सम्बन्ध में अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार, अध्ययन बोर्डों को गठित किया जायेगा और एक अध्ययन बोर्ड को एक से अधिक विषय सौंपे जा सकेंगे।

26— विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियाँ तथा कर्तव्य वही अन्य प्राधिकारी होंगे जो विहित किये जायें।

अध्याय—पाँच

अध्यापकों तथा अधिकारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें

अध्यापकों की
नियुक्ति

27—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यापक कार्य परिषद द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर एतदपश्चात् उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे। चयन समिति की बैठक उतनी बार होगी जितनी आवश्यक हो।

(2) प्रत्येक ऐसे अध्यापक की नियुक्ति जो उपधारा (3) के अधीन की गई नियुक्ति न हो प्रथम एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर होगी जिसे कार्य परिषद द्वारा एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु यह कि परिवीक्षा की अवधि के दौरान या समाप्ति पर सेवा समाप्ति का कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि विश्वविद्यालय के अध्यापक की दशा में कुलपति और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष (जब तक कि अध्यापक स्वयं विभागाध्यक्ष न हो) की रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् कार्य परिषद आदेश न दे दे :

परन्तु यह और कि सम्बद्ध अध्यापक को प्रस्तावित सेवा समाप्ति के आधारों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण का अवसर देते हुए नोटिस दिये बिना सेवा समाप्ति का ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जायेगा:

परन्तु यह भी यदि यथास्थिति परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व नोटिस दी जाये तो परिवीक्षा अवधि तब तक के लिये बढ़ जायेगी जब तक कि प्रथम परन्तुक के अधीन कार्य परिषद का अंतिम आदेश न दे दिये जायें।

(3) आचार्य से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की दशा में संकाय के संकायाध्यक्ष और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष और कुलाधिपति द्वारा इस निमित्त नाम-निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ के परामर्श से, कुलपति किसी अध्यापक को छुट्टी मंजूर किये जाने के कारण हुई रिक्ति पर चयन समिति को निदेश किये बिना दस माह से अनधिक की कालावधि के लिये स्थानापन्न नियुक्ति कर सकेगी किन्तु अन्य पद जिसको छः माह से अधिक की कालावधि के लिये होना सम्भाव्य हो ऐसे निदेश के बिना नहीं भरेगी।

(4) अध्यापक की नियुक्ति के लिये चयन समिति में निम्नलिखित होंगे,—

(एक) कुलपति जो उसका अध्यक्ष होगा;

(दो) सम्बन्ध विभाग का विभागाध्यक्ष;

(तीन) किसी आचार्य या सह-आचार्य की दशा में तीन विशेषज्ञ, और किसी अन्य दशा में दो विशेषज्ञ जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे:

परन्तु यह कि जहाँ कुलाधिपति का यह समाधान हो जाय कि मामले की विशेष परिस्थितियों में पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार चयन समिति का गठन नहीं किया जा सकता है वहाँ वह ऐसी रीति से चयन समिति का गठन करने का निदेश दे सकते हैं जैसी वे उचित समझें।

(5) (क) प्रत्येक पाठ्य विषय के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के तत्स्थानिक संकाय या उत्तर प्रदेश में अथवा उसके बाहर स्थित ऐसे विद्या निकायों या अनुसंधान संस्थाओं से जिन्हें कुलपति आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात् कुलाधिपति छः या उससे अधिक विशेषज्ञों का एक पैनल बनाएगा, उपधारा (4) के अधीन कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ वहीं व्यक्ति होगा जिसका नाम ऐसे पैनल में दिया हो।

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई पैनल प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण—(1) इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे विषय की शाखा को जिससे स्नातकोत्तर उपाधि के लिए पृथक पाठ्य विषय समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण—(2) जहां चयन किए जाने वाले अध्यापक का पद एक से अधिक पाठ्य विषय के लिए हो तो विशेषज्ञ उनमें से किसी एक पाठ्य विषय का हो सकेगा।

(ग) कुलाधिपति, चयन समिति में अपने नाम निर्देशितियों के रूप में कार्य करने के लिए विशेषज्ञों के उतने नामों से अधिक नाम, जो उपधारा (4) के अधीन अपेक्षित हैं, विनिर्दिष्ट आदेश से संसूचित कर सकेगा। ऐसे मामले में जब कोई जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में ऊपर दिया गया हो, चयन समिति के अधिवेशन के लिए उपलब्ध न हो तो उस व्यक्ति से जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में उससे ठीक नीचे हो, समिति में कार्य करने के लिए अनुरोध किया जायेगा।

(6) उपधारा (4) में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा की गयी किसी सिफारिश को तब तक विधिमान्य नहीं समझा जायेगा जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन से सहमत न हो।

(7) उपधारा (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से ऐसी समिति की गणपूर्ति होगी:

परन्तु आचार्य या सह-आचार्य के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थित व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे।

(8) यह चयन समिति पर निर्भर होगा कि वह प्रत्येक पद के लिये एक या एकाधिक किन्तु तीन से अनाधिक नामों की सिफारिश करें।

(9) किसी अध्यापन की नियुक्ति की दशा में यदि कार्य परिषद चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत न हो तो कार्य-परिषद उस मामले को असहमति के कारणों सहित कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु यह कि यदि कार्य परिषद चयन समिति के अधिवेशन की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर समिति की सिफारिशों पर विनिश्चय न करे, तब भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट माना जायगा, और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(10) अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समिति के सदस्यों की ऐसी समितियों में विचार विमर्श में भाग लेने में हित होने के आधार पर अनर्हता और ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित अन्य विषय परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(11) इस धारा के अधीन किसी नियुक्ति के लिये चयन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक वह रिक्ति कम से कम दो ऐसे समाचार-पत्रों के तीन अंकों में विज्ञापित न कर दी जाय जिसका उत्तर प्रदेश में पर्याप्त परिचालन हो।

28-(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय में मौलिक रूप से नियुक्त कोई सहायक आचार्य या मौलिक रूप से नियुक्त या इस धारा के अधीन विश्वविद्यालय में पदोन्नत कोई सहयुक्त आचार्य, जिसकी उतनी सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हताएं रखता हो जैसी विहित की जायें, को क्रमशः सहयुक्त आचार्य, सह-आचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकेगी।

सहयुक्त आचार्य एवं आचार्य के पद पर पदोन्नति

(2) उपधारा (1) के अधीन ऐसी वैयक्तिक पदोन्नति धारा 27 की उपधारा (4) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाय, दी जायगी।

29-(1) परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय को कोई वैतनिक अधिकारी और अध्यापक, सिवाय ऐसी लिखित संविदा के जो इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुरूप होगी, नियुक्त नहीं किया जायगा।

विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति संविदा

(2) मूल संविदा कुलसचिव के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक को दी जाएगी।

(3) किसी संविदा या अन्य लिखत में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को, ऐसे विस्तार तक के सिवाय, यदि कोई हो, और ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जैसा राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्राईवेट चिकित्सा व्यवसाय (प्रेक्टिस) करने का अधिकार नहीं होगा।

पेंशन, भविष्य निधि
आदि

30-विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सामान्य और विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, पेंशन एवं भविष्य निधि नियमावली को लागू करेगा।

अध्यापकों के
पारिश्रमिकीय
अतिरिक्त काम की
अनुज्ञेय सीमा

31-(1) अध्यापकों को किसी भारतीय विश्वविद्यालय या लोक सेवा आयोग से भिन्न किसी निकाय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किये गये किन्हीं कर्तव्यों के लिए पारिश्रमिक के संदाय सम्बन्धी शर्तें वही होंगी जो विहित की जायें।

(2) कोई अध्यापक अध्यापन सम्बन्धी कर्तव्यों या किसी परीक्षा सम्बन्धी कर्तव्यों से भिन्न कर्तव्यों वाला एक से अधिक पारिश्रमिकीय पद धारण नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण :-“पारिश्रमिकीय पद” शब्दों के अन्तर्गत छात्रावास के वार्डन या अधीक्षक, प्रॉक्टर, क्रीडाधीक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष के पद भी हैं।

मध्यस्थम् अधिकरण

32-(1) किसी नियुक्ति संविदा से उठने वाला कोई विवाद मध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा। जिसमें कार्य परिषद द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य (जो संयोजक का काम करेगा) सम्मिलित होंगे।

(2) यदि किसी कारणवश अधिकरण के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाए तो उस रिक्ति की पूर्ति के लिये उपयुक्त व्यक्ति या संबंधित निकाय उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट करेगा, और अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती हैं, जिस प्रक्रम पर रिक्ति की पूर्ति की जाय।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम और पक्षकारों पर अबद्धकर होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी।

(4) मध्यस्थम् अधिकरण की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, -

(क) अपनी प्रक्रिया विनियमित करना;

(ख) संबंधित अधिकारी या अध्यापक को, पुनर्नियुक्त करने का आदेश देना; और

(ग) ऐसी आय काटने के पश्चात् जो उसे सेवा से निलंबित होने, हटाये जाने, पदच्युत किये जाने अथवा समाप्त किये जाने के दौरान अन्यथा प्राप्त हुई हो, वेतन दिलाना।

(5) मध्यस्थम् से सम्बद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट कोई बात इस धारा के अधीन मध्यस्थम् पर लागू न होगी।

(6) किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में नहीं की जाएगी जो उपधारा (1) द्वारा मध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किये जाने के लिए अपेक्षित हो:

परन्तु यह कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट अधिकरण का प्रत्येक विनिश्चय प्रादेशिक अधिकारितायुक्त निम्नतम न्यायालय द्वारा निष्पादनीय होगा मानो वह उक्त न्यायालय की कोई डिक्री हो।

अध्याय-छः

परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

परिनियम

33-इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे और विशिष्टितया निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किये जायेंगे :-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियां और उनके कर्तव्य ;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों का निर्वाचन, नियुक्ति, पदावधि, जिसके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों को पद पर बना रहना भी है, और उनकी सदस्यता में रिक्तियों की पूर्ति और इन प्राधिकारियों से सम्बन्धित ऐसे अन्य सभी विषय के लिए उपबन्ध करना आवश्यक हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों का वर्गीकरण, भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हता और अनुभव भी हैं) उनके द्वारा विद्या सम्बन्धी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का रखा जाना और उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण-नियम और उनकी परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें (जिसमें अनिवार्य सेवा-निवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं);

(ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हता और अनुभव भी हैं) और उनकी परिलब्धियां और उनकी सेवा की शर्तें (जिसमें अनिवार्य सेवा निवृत्ति से सम्बन्धित अन्य उपबन्ध भी हैं);

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन या भविष्य निधि का गठन अथवा बीमा स्कीम की स्थापना;

(छ) उपाधियां तथा डिप्लोमा संस्थित करना;

(ज) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(झ) उपाधियां और डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं का वापस लेना;

(ञ) संकायों की स्थापना, उनका आमेलन, उत्सादन और पुनः संगठन;

(ट) संकायों में अध्यापन विभागों की स्थापना;

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों की स्थापना, उनका उत्सादन और पुनः संगठन;

(ड) विश्वविद्यालय के वैतनिक कर्मचारियों (जो अध्यापक नहीं हैं) की संख्या, न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव, परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें, जिसमें सेवा निवृत्ति की आयु और अनिवार्य सेवा निवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं, और उनके सेवा अभिलेख की रचना और अनुरक्षण;

(ढ) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना;

(ण) स्नातकों के रजिस्ट्रीकरण की अर्हतायें, शर्तें और रीति और रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर का रखा जाना;

(त) दीक्षान्त समारोह, यदि कोई हो, करना; और

(थ) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा परिणियमों में उपबन्धित किये जाने हों या किये जा सकेंगे।

34—(1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिणियम राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे। परिणियम कैसे बनाये जायेंगे

(2) कार्य परिषद नए या अतिरिक्त परिणियम बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिणियमों में संशोधन या उन्हें निरस्त कर सकेगी।

(3) कार्य परिषद, किसी ऐसे परिणियम के प्रारूप की प्रस्थापना तब तक नहीं करेगी, जिससे विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियाँ गठन पर प्रभाव पड़ता हो, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार राय लिखित रूप में होगी तथा कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) प्रत्येक नया परिणियम या किसी परिणियम में परिवर्धन या किसी परिणियम में संशोधन या निरसन कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा अथवा अपनी अनुमति रोक सकता है अथवा उस पर और विचार करने के लिए कार्य परिषद को भेज सकेगा।

(5) कार्य परिषद द्वारा पारित कोई परिणियम उस तारीख से, जब कुलाधिपति द्वारा अनुमति दी जाए अथवा ऐसी पश्चातवर्ती तारीख से जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, प्रभावी होगा।

(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अध्यापकों की अर्हताओं के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किसी सुझाव या सिफारिश या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए अपने द्वारा अध्ययन, शिक्षण या अनुसंधान के हित में या अध्यापकों, विद्यार्थियों या अन्य कर्मचारिवृन्द के लाभ के लिए किये गये किसी विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए कार्य परिषद से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त परिनियम बनाने या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित करने या निरसित करने की अपेक्षा कर सकती है और यदि कार्य परिषद ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहे तो राज्य सरकार नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकती है।

(7) कार्य परिषद को राज्य सरकार द्वारा उपधारा (6) के अधीन बनाये गये परिनियमों को संशोधित या निरसित करने या ऐसे परिनियमों से असंगत नये या अतिरिक्त परिनियम बनाने की शक्ति नहीं होगी।

अध्यादेश

35—(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या अध्यादेशों द्वारा किये जायें।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिये उपबन्ध किये जायेंगे, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा उनका नामावलिप्यत होना और इस प्रकार बना रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए अधिकथित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालय की अन्य विद्या संबंधी विशिष्टतायें;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमाओं में प्रविष्ट किया जायगा तथा वे ऐसी उपाधियों तथा डिप्लोमा प्राप्त करने के पात्र होंगे;

(घ) छात्रवृत्तियाँ, अधिछात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, निर्धन छात्रवृत्तियाँ, पदक तथा पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें;

(ङ) विश्वविद्यालय में छात्रों के निवास तथा विश्वविद्यालय द्वारा पोषित छात्रावासों के प्रबंध की शर्तें;

(च) ऐसे और छात्रावासों की, जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित न हों, मान्यता और प्रबंध;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाये रखना और दण्ड की व्यवस्था करना;

(ज) फीस जो विश्वविद्यालय द्वारा ली जा सके;

(झ) परीक्षण निकायों, परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों तथा सारणीकारों की नियुक्ति की शर्तों और रीति तथा उसके कर्तव्य;

(ञ) परीक्षाओं का संचालन;

(ट) विश्वविद्यालय के कार्यों में नियोजित व्यक्तियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक तथा जिसके अन्तर्गत यात्रा और दैनिक भत्ते भी हैं;

(ठ) अन्य सभी विषय जिनके लिये इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन उपबन्ध किये जाने हों अध्यादेश द्वारा किये जायें।

अध्यादेश कैसे बनाये जायेंगे

36—(1) कार्य परिषद समय-समय पर नये अथवा अतिरिक्त अध्यादेश बना सकेगी। परन्तु कोई अध्यादेश नहीं बनाया जायेगा,—

(क) जिससे छात्रों के प्रवेश पर प्रभाव पड़े या जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता दी जाने वाली परीक्षाएँ अथवा विश्वविद्यालय की उपाधि पाठ्यक्रम प्रवेश के लिये धारा 46 की उपधारा (1) में वर्णित अतिरिक्त अर्हताओं को विहित करें जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद द्वारा प्रतिस्थापित न किया गया हो; या

(ख) जिससे परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों तथा रीति और उनके कर्तव्य तथा परीक्षाओं का किसी पाठ्यक्रम के संचालन या स्तर पर पड़े जब तक कि वह सम्बद्ध संकाय की प्रस्थापना के अनुसार न हो या जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद द्वारा प्रास्थापित न किया गया हो; या

(ग) जिससे कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा उपलब्धियों अथवा विश्वविद्यालय की आय या व्यय पर प्रभाव पड़े, जब तक कि उसका प्रारूप राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(2) कार्य परिषद को इस धारा के अधीन विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति नहीं होगी किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकेगी या वह उसे विद्या परिषद को पूर्णतः अथवा भागतः पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संशोधन के साथ वापस कर सकेगी जिसका कार्य परिषद सुझाव दें।

(3) कार्य परिषद द्वारा बनाये गये सभी अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे जैसे वह निर्देश दे और कुलाधिपति को यथाशक्ति शीघ्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

(4) कुलाधिपति किसी समय कार्य परिषद की उपधारा (1) के परन्तुक खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेशों से भिन्न अध्यादेशों को कार्य परिषद को अननुज्ञात करने को संज्ञापित कर सकेगा और कार्य परिषद को ऐसे अननुज्ञात करने की सूचना प्राप्त की तारीख से ऐसे अध्यादेश शून्य हो जायेंगे।

(5) कुलाधिपति यह निर्देश दे सकेगा कि उपधारा (1) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश से भिन्न किसी अध्यादेश का प्रवर्तन तब तक के लिये निलम्बित रहेगा जब तक उसे अननुज्ञात करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर न मिला हो। इस उपधारा के अधीन निलम्बन का कोई आदेश ऐसे आदेश की तारीख से एक मास की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा।

37-(1) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या निकाय निम्नलिखित के लिये विनियम बना सकेगा :-

(क) अपने अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करने;

(ख) ऐसे समस्त विषयों का उपबन्ध करना जो अधिनियम परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनियमों से उपबन्धित किये जाने हों; और

(ग) किसी ऐसे विषय का उपबन्ध करना जिनका संबंध केवल ऐसे प्राधिकारी या निकाय से हो और जिनके लिये इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश में उपबन्ध न किये गये हों।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा बनाये गये विनियमों में उसके सदस्यों की अधिवेशनों की तारीखें और उनमें किये जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा ऐसे अधिवेशनों में किये जाने वाले काम-काज का अभिलेख रखने की व्यवस्था करेगा।

(3) कार्य परिषद विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय को यह निदेश दे सकेगी कि वह ऐसे पदाधिकारी या निकाय द्वारा बनाये गये किसी विनियम को रद्द कर दे या उनमें ऐसे रूप में संशोधन कर दें जैसा निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय और तदुपरान्त ऐसा प्राधिकारी या, निकाय तदनुसार विनियम को रद्द करेगा अथवा उसमें संशोधन करेगा।

(4) अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे विद्या परिषद विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा, उपाधि या डिप्लोमा के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिये विनियम संबंधित संकाय के बोर्ड द्वारा उसके प्रारूप प्रस्थापित किये जाने के पश्चात् ही बना सकेगा।

(5) विद्या परिषद की उपधारा (4) के अधीन संकाय के बोर्ड द्वारा प्रस्थापित किसी प्रारूप में संशोधन अथवा उसे अस्वीकार करने की शक्ति न होगी, किन्तु वह उसे बोर्ड को अपने सुझावों के साथ और विचार करने के लिये वापस कर सकेगी।

अध्याय—सात

वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा

वार्षिक रिपोर्ट

38—(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद के निदेशाधीन तैयार की जायेगी और उसे वार्षिक अधिवेशन के एक मास पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा और सभा अपने वार्षिक अधिवेशन में उस पर विचार करेगी।

(2) प्रशासकीय परिषद संकल्प द्वारा ऐसी रिपोर्ट के सम्बन्ध में सिफारिश कर सकेगी और उसे कार्य परिषद को संसूचित करेगी, जो उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह ठीक समझे।

लेखा तथा संपरीक्षा

39—(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा तुलनपत्र कार्य परिषद के निदेशाधीन तैयार किये जायेंगे और किसी श्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोदभूत समस्त धन और ऐसी रकमों जिनका वितरण अथवा संदाय किया गया हो विश्वविद्यालय द्वारा रखी गयी लेखा में प्रविष्ट की जायेगी।

(2) वार्षिक लेखा और तुलनपत्र की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जो उसकी संपरीक्षा करेगी।

(3) वार्षिक लेखा और तुलनपत्र की संपरीक्षा हो जाने के पश्चात् उन्हें मुद्रित किया जायेगा और उनकी प्रतियां संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रति कार्य परिषद द्वारा व्यवस्थापक बोर्ड को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) कार्य परिषद ऐसी तारीख के पूर्व, जो विहित की जाय आगामी वर्ष का बजट भी तैयार करेगी।

(5) व्यय की प्रत्येक नई मद, जो यथा विहित रकम से अधिक हो जिसे बजट में सम्मिलित करने की प्रस्थापना हो, कार्य परिषद द्वारा वित्त समिति को निर्दिष्ट की जायेगी जो उस पर अपनी सिफारिशें कर सकेगी।

(6) कार्य परिषद जो वित्त समिति की सिफारिशों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् बजट का अन्तिम रूप से अनुमोदन करेगी।

(7) वार्षिक लेखा, तुलनपत्र तथा संपरीक्षा रिपोर्ट पर व्यवस्थापक बोर्ड अपनी वार्षिक अधिवेशन में विचार करेगी और व्यवस्थापक बोर्ड उसके सम्बन्ध में संकल्प द्वारा सिफारिशें कर सकेगी और उसे कार्य परिषद को संसूचित करेगी।

(8) कुलपति या कार्य परिषद द्वारा कोई ऐसा व्यय उपगत करना वैध न होगा:—

(क) जो या तो बजट में मंजूर न हो या बजट मंजूर होने के पश्चात् राज्य सरकार या भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या फाउन्डेशन द्वारा विश्वविद्यालय को अनुदान विधियों की दशा में, ऐसे अनुदान के निबन्धनों के अनुसार न हो :

परन्तु यह कि धारा 12 की उपधारा (7) के किसी बात के होते हुये भी अग्निकाण्ड, बाढ़, अतिवृष्टि अथवा अन्य आकस्मिक अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों में कुलपति रु० एक लाख से अनाधिक ऐसा अनावर्ती व्यय उपगत कर सकेगा और ऐसे सभी व्यय की सूचना वह अविलम्ब राज्य सरकार को देगा।

(ख) जो इस अधिनियम के अधीन तात्पर्यित कुलाधिपति या राज्य सरकार के अधीन किसी आदेश का विरोध करने के लिये किसी मुकदमे के संबंध में हो।

40-(1) धारा 16 के खण्ड (ख) से (झ) में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के अधिभार किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हो।

(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसे विहित की जाय।

अध्याय-आठ

प्रकीर्ण

41-(1) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय के अधिकारी और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यगण यथासंभव निर्वाचन, से भिन्न रीति से चुने जायेंगे।

प्राधिकारियों के अधिकारियों तथा सदस्यों की नियुक्ति करने की रीति

(2) जहां इस अधिनियम या परिनियमों में चक्रानुक्रम से या ज्येष्ठता अथवा अन्य अर्हताओं के अनुसार किसी नियुक्ति के लिये कोई उपबन्ध किया गया हो तो चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता तथा अन्य अर्हतायें अवधारित करने की रीति वही होंगी जो विहित की जाय।

(3) जहां इस अधिनियम में निर्वाचन के लिये कोई उपबन्ध किया गया हो ऐसा निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा संचालित किया जायेगा और जहां परिनियमों में निर्वाचन के लिये उपबन्ध किया गया है तो वह ऐसी रीति से होगा जैसी परिनियमों द्वारा उपबन्धित हो।

(4) इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या कर्मचारी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अन्य निकाय के निर्वाचन में खड़े होने के लिये पात्र न होगा।

42-(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह सदस्य जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी है चुना गया हो और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिये होगा जिसके लिये वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

(2) यदि कोई व्यक्ति, जो अन्य किसी निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य हो चाहे वह निकाय विश्वविद्यालय का हो अथवा बाहरी, तब तक ऐसे प्राधिकारी में अपने पद पर रहेगा जब तक कि वह ऐसे निकाय का प्रतिनिधि बना रहे।

43-(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय अथवा समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि :-

रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाही का अविधि मान्य न होना

(क) उसमें कोई रिक्त अथवा उसके गठन में कोई त्रुटि थी; या

(ख) कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने के लिए हकदार नहीं था; या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी; या

(घ) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

44- व्यवस्थापक बोर्ड, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की दो तिहाई मत किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति नैतिक अधमता सम्बन्धित ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष हुआ है अथवा इस आधार पर कि वह कलंककात्मक आचरण का दोषी है अथवा उसने ऐसी रीति से व्यवहार किया हो जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिए अशोभनीय हो, हटा सकती है और उन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या मंजूर की गयी कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र वापस ले सकती है।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

45-यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय या यथाविधि निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं (जिसके अन्तर्गत किसी परिनियम, अध्यादेश या परिनियम, जो राज्य सरकार द्वारा या कुलाधिपति द्वारा बनाया या अनुमोदित किया गया परिनियम या अध्यादेश न हो, की विधिमान्यता से सम्बन्धित कोई प्रश्न भी सम्मिलित है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विषय कुलाधिपति को निदिष्ट किया जायगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा:

कुलाधिपति को निर्देश

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई निर्देश :-

(क) उस तारीख के जब प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक के पश्चात;

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी अथवा व्यथित व्यक्ति से सिवाय नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि कुलाधिपति आपवादिक परिस्थितियों में,—

* (एक) पूर्वगामी परन्तुक में वर्णित कालावधि की समाप्ति के पश्चात् स्वप्रेरणा पर कार्य कर सकेगा अथवा निदेश ग्रहण कर सकेगा।

(दो) जहां निदिष्ट विषय का सम्बन्ध निर्वाचित के बारे में किसी विवाद से हो, और इस प्रकार निर्वाचन व्यक्ति की पात्रता संदेहास्पद हो तो ऐसा स्थगन आदेश दे सकेगा जिसे वह न्यायोचित और समीचीन समझे।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

46—(1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज अथवा विश्वविद्यालय द्वारा यथाविधि अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प अथवा दस्तावेज के अथवा रजिस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी और उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण की जाएगी जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई होती तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से, किसी ऐसी कार्यवाही में, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष न हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख जिसकी अन्तर्वस्तुएं उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती हों, प्रस्तुत करने की अथवा उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार को सिद्ध करने के लिये साक्षी के रूप में उपस्थित होने की जब तक अपेक्षा न की जाएगी, जब तक कि सभा विशेष कारण से आदेश न दे।

अध्याय—नौ

संक्रमणकालीन उपबन्ध

प्राधिकारियों का गठन

47—(1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों और परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) प्रथम व्यवस्थापक बोर्ड में नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे तथा उनका कार्यकाल तीन वर्ष अथवा इस अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार व्यवस्थापक बोर्ड के गठन होने तक रहेगा ;

(ख) प्रथम कार्य परिषद, प्रथम वित्त समिति तथा प्रथम विद्या परिषद का गठन कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये अथवा धारा 19 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उक्त निकायों के गठन होने तक के लिये किया जायेगा; और

(ग) प्रथम कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी, जो तब तक पदधारण करेगा, जब तक कि धारा 11 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कोई नियमित नियुक्ति न कर दी जाय।

विश्वविद्यालय के संकाय अधिकारियों और गैर संकाय अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों एवं वेतन-भत्तों आदि का निर्धारण उद्देश्य व कारण

48—विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों (शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों) की सेवा शर्तों, योग्यतायें, अनुभव, वेतनमान एवं भत्तों आदि की सुविधायें संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों (शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों) के अनुरूप अनुमन्य होगी।

49—(क) उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के रूप में परिवर्तित होने के उपरान्त भी किसी अधिनियमिति के अधीन की गयी सभी नियुक्तियां, दिये गये आदेश, प्रदत्त उपाधियां या डिप्लोमा अथवा जारी किये गये प्रमाण-पत्र, मंजूर किये गये विशेषाधिकार अथवा की गयी कोई अन्य बातें (जिसके अन्तर्गत स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण भी है) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन तत्समान उपबंधों के अधीन क्रमशः की गयी, जारी की गयी, प्रदत्त, मंजूर या की गयी समझी जाएगी और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन जब तक कि वे इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी अन्य आदेश में अधिक्रांत न कर दिये जाय, प्रवृत्त बनी रहेगी।

(ख) इस संस्थान के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे।

(ग) इस संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर वही नियम एवं शर्तें लागू होंगी जो कि पूर्व से लागू हैं तथा उन्हें जब तक किसी आदेश के अन्तर्गत राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा संशोधित/परिवर्तित नहीं कर दिया जाता।

(घ) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को विशिष्ट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, निःशुल्क और ग्रामीण जनसंख्या को विशिष्ट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने की व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई अधिनियम, 2005 में की गयी थी, को इसके विश्वविद्यालय में परिवर्तित होने पर बनी रहेगी।

50-(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को, विशिष्टता: उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, जहाँ तक संस्थाओं का संबंध है, के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के सम्बन्ध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनो सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा में निदिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

51-(1) उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा अधिनियम, 2005 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2005 का निरसन और अपवाद

(2) इस अधिनियम में उपबंधित के सिवाय उपधारा (1) के अधीन निरसन उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 6 के सामान्य रूप से प्रवृत्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

उद्देश्य और कारण

प्रदेश में विभिन्न रोगों से ग्रस्त भिन्न-भिन्न प्रकार के रोगियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने एवं कुशल चिकित्सा शिक्षकों को तैयार करने के उद्देश्य से यह आवश्यक हो गया है कि राज्य के सैफई, इटावा में एक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय। अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि एक विधि बनाकर विद्यमान उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा के स्थान पर "उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा" के नाम से एक नये चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय।

तदनुसार "उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा विधेयक, 2015" पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
राजेश सिंह,
विशेष सचिव।

No. 742(2)/LXXIX-V-1-16-1 (ka)-7-2015

Dated Lucknow, May 17, 2016

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Ayurvigyan Vishwavidyalay, Saifai, Etawah Adhiniyam, 2015 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 2, 2016.

THE UTTAR PRADESH UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES,

SAIFAI, ETAWAH ACT, 2015

(U. P. Act no. 15 of 2016)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

to provide for the establishment of a Medical Sciences University by the name of Uttar Pradesh University of Medical Sciences by transfer of the Uttar Pradesh Rural Institute of Medical Sciences & Research and associated Dental Sciences, Para Medical College, Nursing College & College of Pharmacy at Saifai, Etawah in Uttar Pradesh and for matters connected therewith or incident thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh University of Medical Sciences, Saifai, Etawah Act, 2015.

Short title and commencement

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

Definitions

2. In this Act,—

- (a) "Academic council", "Board of Governors", and "Executive Council" mean respectively the Academic Council, Board of Governors, and the Executive Council of the University;
- (b) "appointed date" means the date of notification by the State Government under sub-section (2) of section 1;
- (c) "dentistry" and "medicine" shall have the meanings assigned to them in the Dentists Acts 1948 and the Indian Medicine Act, 1956 respectively;
- (d) "faculty" means a faculty of the University;
- (e) 'hostel' means a unit of residence for students maintained or recognized by the University;
- (f) "Institute" means the Uttar Pradesh Rural Institute of Medical Sciences and Research, Saifai, Etawah established under The Uttar Pradesh Rural Institute of Medical Sciences and Research, Saifai Act, 2005;
- (g) "prescribed" means prescribed by the Statutes;
- (h) 'registered graduate' means a graduate of the University;
- (i) "Statutes", 'Ordinances' and 'Regulations' mean respectively the statutes, ordinances and regulations of the University;
- (j) "teacher" means a teacher employed by the University for imparting instructions and guiding and conducting research in the University;
- (k) "University" means the Uttar Pradesh University of Medical Sciences Saifai, Etawah established under this Act.

CHAPTER-II
THE UNIVERSITY

3. (1) On and from the appointed date there shall be established a medical University by the name of the Uttar Pradesh University of Medical Sciences, Saifai, Etawah.

(2) The University shall be a body corporate.

4. On the appointed date,—

(a) the land and all properties, assets, and rights pertaining to the existing Uttar Pradesh Rural Institute of Medical Sciences & Research, hospital, Dental College, para medical college, nursing college, college of pharmacy, trauma centre, super specialty hospital situated at Saifai, Etawah belonging to State Government shall stand transferred to the University; and

(b) all the officers, teachers and other employees of the Institute shall become the officers, teachers and other employees of the University in such capacity and in such manner as may be prescribed.

5. The objects of the University shall be,—

(a) to disseminate and advance knowledge in medicine, dentistry, para medical science, nursing and pharmacy and to ensure efficient and systematic instructions, teaching, training and research therein;

(b) to provide for a multipurpose super-specialty hospital and trauma centre by upgrading the existing institution, and to establish them as a centre of excellence and to provide treatment for patients in the hospitals;

(c) to establish a centre for imparting training to teachers;

(d) to develop training centre and facilities for paramedical human resource;

Establishment and incorporation of the University

Transfer of Institute to the University and utilization of assets.

Objects of the University

(e) to administer manage and control the hospitals, pathological laboratories, diagnostic centers and blood banks and such other peripheral specialized hospital related services and facilities;

(f) to establish, as and when required, specialized and individual departments to deal with emerging medical and surgical specialties and sub-specialties;

6. The University shall have the following powers and duties, namely:-

Powers and duties
of the University

(a) to institute teaching and training in such branches of medicine, dentistry, para medical college, nursing college, college of pharmacy as the University may think fit and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge in those branches;

(b) to institute and award degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;

(c) to admit student to the various courses of study of the university and to conduct examinations or tests and lay down conditions in respect thereof;

(d) to hold examinations for and to grant and confer degrees, diplomas and other academic distinctions to and on persons who,-

(i) have pursued a course of study in the University, or

(ii) have carried on research in the University;

(e) to confer honorary degrees or other academic distinctions in the manner and under conditions laid down in the Statutes;

(f) to grant such diplomas to, and to provide such lectures and instructions for, persons not being students of the University as the University may determine;

(g) to co-operate or collaborate with other Universities and for such purpose as the University may determine;

(h) to institute and award scholarships, fellowships,(including travelling fellowship) studentships, stipend, medals and prize in accordance with the Statutes and Ordinances;

(i) to recognize for the purpose of admission to a course of study for a degree or diploma as equivalent to its own degree any degree or diploma conferred by any other University or as equivalent to the intermediate Education Uttar Pradesh, examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh, and any examination conducted by any other University or authority;

(j) to establish maintain and administer institutes of teaching and research, hospitals, laboratories, libraries or other things necessary to carry out the objects of the University;

(k) to establish maintain and administer hostels and to recognize places of residence for students of the University;

(l) to fix and collect fees and other charges in accordance with the Ordinances;

(m) to supervise and control the residents, and to regulate the discipline of students of the University, the institutes and to make arrangements for promoting their health;

(n) to undertake publication of works of merit and research;

(o) to provide for management and treatment of the patients in its hospitals;

(p) to do all such acts and things whether incidentals to the power as aforesaid or not as may be required in order to further the objects of the University;

(q) to admit any government or private medical, dental, paramedical or nursing college to the privileges of affiliation or recognition in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed and to withdraw or curtail any such privilege; and to guide and control the work of such college.

University open to
all race, class
creed
or sex :

7. The University shall be open to all persons irrespective of race, class, creed or sex:

Provided that the University may;-

(i) restrict the eligibility of admission to the courses of study of the University.

(ii) make reservations in favors of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, girl students and other categories in accordance with any law or orders of the State Government for the time being in force.

Inspection Inquiry,
and Visitation

8. (1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct of the University including its buildings libraries, laboratories, workshops and equipment and also of the examinations teaching and all other works conducted or done by the University or to cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University.

(2) Where the State Government decides to cause an inspection or inquiry to be made under sub-section (1) it shall inform the University of the same through the Registrar and any person nominated by the Executive Council may be present at such inspection or inquiry as representative of the University and he shall have the right to be heard as such.

(3) The person or persons appointed to inspect or inquire under sub-section (1) shall have all the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 for the purpose of taking evidence on oath and of enforcing the attendance of witness and compelling production of documents and material objects and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and the proceedings before him or them shall be deemed to be the judicial proceedings within the meaning of section 193 and 228 of the Indian Penal Code.

(4) The State Government shall address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.

(5) The Vice-Chancellor shall then within such time as the State Government may fix submit to it a report of the action taken or proposed to be taken by the Executive Council.

(6) If the University authorities do not within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government the State Government may after considering any explanation which the University authorities may furnish issue such, directions as it may think fit, and the University authorities shall be bound to comply with such directions.

(7) The State Government shall send to the Chancellor a copy of every report of an inspection or inquiry caused to be made under sub-section (1) and of every communication received from the Vice-Chancellor under sub-section (5) and of every direction issued under sub-section (6) and also of every report or information received in respect of compliance or non-compliance with such directions.

CHAPTER-III
OFFICERS OF THE UNIVERSITY

9. The following shall be the officers of the University —

Officers of the
University

- (a) The Chancellor,
- (b) The Vice-Chancellor,
- (c) The Pro-Vice-Chancellor,
- (d) The Finance Officer,
- (e) The Registrar,
- (f) The Controller of Examinations,
- (g) The Deans of Faculties,
- (h) The Dean of Students welfare,

(i) Such other officers as may be declared by the Statutes to be the Officers of the University.

10. (1) The Chief Minister of Uttar Pradesh shall be the *ex-officio* Chancellor of the University.

The Chancellor

(2) The Chancellor, by virtue of his office, will be the head of the University.

(3) The Chancellor shall have such powers as may be conferred on him by this Act or the Statutes made thereunder.

(4) Every proposal for the conferment of an honorary degree or distinction shall be subject to the confirmation by the Chancellor.

(5) The Chancellor shall, if present, preside at the convocation of the University held for conferring degrees and diplomas.

11 (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor from amongst the persons whose names are submitted to him by the Committee constituted in accordance with provisions of sub-section (2).

The Vice-
Chancellor

(2) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following members namely-

- | | |
|--|---|
| (a) the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh | <i>the ex-officio</i>
<i>Chairman of the</i>
<i>Committee</i> |
| (b) the Principal Secretary or the Secretary to the State Government in the Medical Education Deptt. | <i>Convener</i> |
| (c) the Vice Chancellor, King George's Medical University | <i>Member</i> |
| (d) the Director, Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow | <i>Member</i> |
| (e) One person nominated by the Chancellor | <i>Member</i> |

(3) The Committee shall as far as may be, at least sixty days before the date on which a vacancy in the office of the Vice-Chancellor is due to occur by reason of expiry of term or resignation under sub-section (7) and also whenever so required and before such date as may be specified by the Chancellor submit to the Chancellor the

names of not less than three persons to hold the office of the Vice-Chancellor. The Committee shall while submitting the names, also forward to the Chancellor a concise statement showing the qualification of each of the persons so recommended but shall not indicate any order of preference.

(4) Where the Chancellor does not consider anyone or more of persons recommended by the Committee to be suitable for appointment as Vice - Chancellor or if one or more of the persons recommended is or are not available for appointment and the choice of the Chancellor is restricted to less than three persons, he may require the committee to submit a list of fresh names in accordance with sub-section (3).

(5) No act or proceeding of the committee shall be invalidated merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members or by reasons of some person having taken part in the proceeding who is subsequently found not to have been entitled to do so.

(6) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office:-

Provided that the Vice-Chancellor may by writing under his hand addressed to the Chancellor resign his office and shall cease to hold his office on the acceptance by the Chancellor of such resignation.

(7) Subject to the provisions of this Act the emoluments and other conditions of services of the Vice-Chancellor shall be such as may be determined by the State Government by general or special order in that behalf.

(8) The Vice-Chancellor shall not be entitled to the benefit of any pension, insurance or provident fund in respect of his service as Vice-Chancellor.

(9) In any of the following circumstances (of the existence of which the Chancellor shall be the sole judge) the Chancellor may appoint any suitable person to the office of Vice- Chancellor for a term not exceeding six months as he may specify.

(a) Where the vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs or is likely to occur by reason of leave or any other cause, not being resignation or expiry of term of which a report shall forthwith be made by the Registrar to the Chancellor.

(b) Where the vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs and it cannot be conveniently and expeditiously filled in accordance with the provisions of sub-sections (1) to (5).

(c) Any other emergency:

Provided that the Chancellor may, from time to time extend the term of appointment of any person to the office of Vice-Chancellor under this sub-section so however that the total term of such appointment (including the term fixed in the original order) does not exceed one year.

(10) In the absence of the Vice-Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor if any or where there is no Pro-Vice-Chancellor the senior most Professor of the University shall discharge the duties of the Vice-Chancellor as well.

(11) If in the opinion of the Chancellor the Vice-Chancellor willfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if it otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University the Chancellor may, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor.

(12) During the pendency, or in contemplation of any inquiry, the Chancellor, may order that till further orders.

(a) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of the Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled under sub-section (8).

(b) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order.

12. (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall; -

Power and duties
of the Vice-
Chancellor

(a) exercise general supervision and control over the affairs of the University;

(b) give effect to the decisions of the authorities of the University;

(c) in the absence of the Chancellor, preside at any meetings of the authorities and at any convocation of the University;

(d) be responsible for the maintenance of discipline in the University including the prohibition of any violent or indecent ragging of fresh students by their seniors;

(e) be responsible for holding and conducting the University examinations properly and at due times and for ensuring that the results of such examinations are published expeditiously and that the academic session of the University starts and ends on proper dates.

(2) He shall be an *ex-officio* member chairman of the Executive Council, the Academic Council and the Finance Committee.

(3) He shall have the right to speak in and otherwise to take part in the meeting of any other authority or body of the University but shall not by virtue of this sub-section be entitled to vote.

(4) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure the faithful observance of the provisions of this Act, the statutes and the ordinances and he shall without prejudice to the power of the Chancellor possess all such powers as may be necessary in that behalf.

(5) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened meetings of the Executive Council, the Academic Council, or the Finance Committee:

Provided that he may delegate this power to any other officer of the University.

(6) Where any matter other than the appointment of a teacher of the University is of urgent nature requiring immediate action and the same could not be immediately dealt with by any officer or the authority or other body of the University empowered by or under this Act to deal with it the Vice-Chancellor may take such action as he may deem fit and shall forthwith report the action taken by him to the Chancellor and also to the officer, authority or other body who or which in the ordinary course would have dealt with the matter:

Provided that no such action shall be taken by the Vice-chancellor without the previous approval of the Chancellor if it would involve a deviation from the provisions of the Statutes or the Act:

Provided further that if an officer authority or other body is of opinion that such action ought not to have been taken he or it may refer the matter to the Chancellor who may either confirm the action taken by the Vice-chancellor or annul the same or modify it in such manner as he thinks fit and thereupon it shall cease to have effect or as the case may be take effect in the modified form so however the such annulment or modification shall be without prejudice to the validity of anything previously done by or under the order of the Vice chancellor:

Provided also that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice Chancellor under this sub-section shall have the right to appeal against such action to the date on which decision on such action is communicated to him and thereupon the Executive Council may confirm modify or reverse the action taken by the Vice Chancellor.

(7) Nothing in sub-section (6) shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not duly authorized and provided for in the budget.

(8) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be laid down by the statutes and ordinances.

The Pro-Vice -
Chancellor

13. (1) The Vice-Chancellor if he considers necessary may appoint a Pro-Vice-Chancellor from amongst the professors of the University.

(2) The Pro-Vice-Chancellor appointed under sub-section (1) shall discharge the duties in addition to his duties as a professor.

(3) The Pro-Vice-Chancellor shall hold office at the pleasure of the Vice-Chancellor.

(4) The Pro-Vice-Chancellor shall get such honorarium as may be recommended by the Executive Council.

(5) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in respect of such matters, as may be specified by the Vice-Chancellor in this behalf from time to time and shall preside over the meetings of the University in the absence of the Vice-Chancellor and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be assigned or delegated to him by the Vice-Chancellor.

The Finance
Officer

14. (1) There shall be a Finance Officer for the University who shall be appointed by the State Government by a notification and his remuneration and allowances shall be paid by the University.

(2) The Finance Officer shall be the *ex-officio* Secretary of the Finance Committee.

(3) The Finance Officer shall be responsible for presenting the budget (annual estimates) and the statement of accounts to the Executive Council and also for drawing and disbursing funds on behalf of the University.

(4) The Finance Officer shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Executive Council but shall not be entitled to vote.

(5) The Finance Officer shall have the duties, -

(a) to ensure that no expenditure not authorized in the budget, is incurred by the University (otherwise than by way of investment);

(b) to disallow any proposed expenditure which may contravene the provisions of this Act or the terms of any Statutes or Ordinances;

(c) to ensure that no other financial irregularity is committed and to take steps to set right any irregularities pointed out during audit;

(d) to ensure that the property and investments of the University are duly preserved and managed.

(6) The Finance officer shall have access to and may require the production of such records and documents of the University and the furnishing of such information pertaining to its affairs as in his opinion may be necessary for the discharge of his duties.

(7) All contracts shall be entered into and signed by the Finance Officer on behalf of the University.

(8) Other powers and functions of the Finance Officer shall be such as may be prescribed.

(9) Where the Finance Officer is for any reason unable to act or the office of the Finance Officer is vacant all the duties of the office shall be performed by such person as may be appointed by the Vice Chancellor until the Finance Officer resumes his duties or as the case may be the vacancy is filled.

The Registrar

15.(1) The Registrar shall be whole time officer of the University.

(2) The Registrar shall be appointed by the State Government on such terms and conditions as may be prescribed.

(3) The Registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University.

(4) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of the University. He shall be the *ex-officio* secretary of the Executive Council and shall be bound to place before the Executive Council all such information as may be necessary for the transaction of its business. He shall also perform such other duties as may be prescribed or required from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor but he shall not by virtue of this sub-section be entitled to vote.

(5) The Registrar shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University save such as may be provided by the regulations.

(6) Other power and functions of the Registrar shall be such as may be prescribed.

(7) Where the Registrar is for any reason unable to act or the office of Registrar is vacant all the duties of the office shall be performed by such person as may be appointed by the Vice-Chancellor until the Registrar resumes his duties or as the case may be the vacancy is filled.

16. (1) The Controller of Examination shall be a whole time officer of the University.

The Controller of Examinations

(2) The Controller of Examinations shall be appointed by the State Government by notification and his remuneration and allowances shall be paid by the University.

(3) The Controller of Examination shall be responsible for the due custody of the records pertaining to his work. He shall be *ex-officio* Secretary of the Examinations Committee of the University and shall be bound to place before such committee all such information as may be necessary for the transaction of its business. He shall also perform such other duties as may be prescribed by the regulations or as may be required from time to time by the Executive Council or the Vice-Chancellor but he shall not by virtue of this sub-section be entitled to vote.

(4) Subject to the superintendence of the Vice-Chancellor the Controller of Examinations shall have administrative control over the employees working under him and have in this regard all the powers of the Registrar.

(5) Subject to the superintendence of the Examinations Committee the Controller of Examinations shall conduct the examinations and make all other arrangements therefore and be responsible for the due execution of all processes conducted therewith.

(6) The Controller of Examination shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University except in accordance with an order of the State Government.

(7) Where the Controller of Examination is for any reason unable to act or the office of Controller of Examination is vacant all the duties of the office shall be performed by such person as may be appointed by the Vice Chancellor until the Controller of Examinations resumes his duties or as the case may be the vacancy is filled.

(8) Other power and functions of the Controller of Examinations shall be such as may be prescribed.

17. The powers of officers of the University other than the Chancellor, the Vice-Chancellor, the Pro-vice-Chancellor, the Finance Officer, the Registrar and the Controller of Examinations declared under the Statutes shall be such as may be prescribed.

Other Officers

CHAPTER-IV

AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

Authorities of the University

18. The following shall be authorities of the University—

- (a) the Board of Governors,
- (b) the Executive Council,
- (c) the Academic Council,
- (d) the Finance Committee,
- (e) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

Constitution of the Board of Governors

19. (1) The Board of Governors shall consist of :-

- (a) the Chancellor; *Chairperson*
- (b) the Chief Secretary, Uttar Pradesh Government; *Vice Chairperson*
- (c) the Principal Secretary, or the Secretary to the State Government in the Medical Education Department; or his nominee not below the rank of Special Secretary to the Government; *Member*
- (d) three eminent persons, nominated by the State Government; *Member*
- (e) three academicians or eminent medical personalities, of which two shall be nominated by the Medical Council of India and the other by the Dental Council of India; *Member*
- (f) the Vice-Chancellor; *Member Secretary*

Power and duties of the Board of Governors

20. (1) The Board of Governors shall be the principal governing body of the University and shall have the following powers, namely:—

- (a) to review decisions of other authorities of the University if they are not in conformity with the provisions of this Act, or the Statutes or the Ordinances;
- (b) to lay down policies to be pursued by the University;
- (c) to approve the budget, annual report and annual accounts of the University, and to consider the annual audit report.

(2) The Board of Governors shall, from time to time, meet at the intervals not exceeding six months at such time and place as the Chancellor thinks fit.

The Executive Council

21. (1) The Executive Council shall consist of following members:-

- (a) The Vice-Chancellor who shall be the chairman thereof;
- (b) The Pro-Vice-Chancellor, if any;
- (c) The Deans of Faculties;
- (d) Two senior most professors of the University (other than the Dean);
- (e) Three eminent persons of national or international repute from the medical profession nominated by the Chancellor;
- (f) The Director General Medical Education Uttar Pradesh;
- (g) The Principal of a State Medical College nominated by the Chancellor.

(h) The Director, SGPGIMS, Lucknow;

(i) The Director, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi or a Professor of that Institute deputed by him to attend any meeting;

(j) Vice-Chancellor, King George Medical University, or nominee.

(2) The term of office of members of the Executive Council other than *ex-officio* members shall be such as may be prescribed.

(3) A person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of the Executive Council if he or his relative accepts any remuneration for any work in or for the University or any contract for the supply of goods to or for the execution of any work for the University:

Provided that nothing in this sub-section shall apply to the acceptance of any remuneration by a teacher as such for any duties performed in connection with an examination conducted by the University or for any duties as superintendent or warden of a training unit or any hostel or proctor or tutor or any duties of a similar nature in relation to the University.

Explanation: - In this section relative means the relations defined in Section 10 of the Companies Act, 1956 and includes the wife (or husband's), brother, wife's (or husband's) father, wife's (or husband's) sister, brother, son and brother's daughter.

22. (1) The Executive Council shall be the principal executive body of the University and subject to the provisions of this Act, have the following powers namely:-

Powers and
duties of the
Executive
Council

- (i) to hold control of the property and funds of the University;
- (ii) to administer any funds placed at the disposal of the University for specific purpose;
- (iii) to prepare the budget of the University;
- (iv) to award scholarship, fellowship bursaries, medals and other awards in accordance with the Statutes and Ordinances;
- (v) to appoint officers, teachers and other employees of the University and to define their duties and the conditions of their service and to provide for the filling of temporary causal vacancies in their posts;
- (vi) to fix the fees, emoluments and traveling and other allowances of the examiners;
- (vii) to regulate and enforce discipline among members of the teaching administrative and other staff of University in accordance with the Statutes and the Ordinances;
- (viii) to manage and regulate the finance, accounts, investments, property, business and all other administrative affairs of the University and for the purpose appoint such agents as it may think fit;
- (ix) to invest any money belonging to the University (including any income from any trust or endowed property) in such stock, funds, shares or securities as it shall from time to time think fit or in the purchase of immovable property in India with the like power of varying such investment from time to time;
- (x) to provide the buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;
- (xi) to enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the University;
- (xii) to regulate and determine all other matters concerning the University in accordance with this Act, the Statutes and the Ordinances.

(2) No immovable property of the University shall except with the prior sanction of the State Government be acquired or be transferred (except by way of letting from month to month in the ordinary course of management) by the Executive Council by way of mortgage sale exchange, gift or otherwise nor shall any money be borrowed, or advance taken on the security thereof or except as a condition of receipt of any grant-in-aid of the University from the State Government or with the previous sanction of the State Government from any other person.

(3) No expenditure in respect of which approval of the State Government required by this Act or the statutes or ordinances shall be incurred except with such approval previously obtained and no post shall be created in the University except with the prior approval of the State Government except in accordance with any general or special order of the State Government.

(4) The pay and other allowances to various categories of the employees of the University shall be such as may be approved by the State Government.

(5) The Executive Council shall not exceed the limits of recurring and non-recurring expenditure to be incurred in each financial year fixed by the Finance committee.

(6) The Executive Council shall not take any action in regard to the number, qualification and emoluments of teachers and the fees payable to examiners except after considering the advice of the academic council and the Boards of Faculties concerned.

(7) The Executive Council shall give due consideration to every resolution of the court, and take such action thereon as it may deem fit to report to the Board of Management, the action taken or as the case may be the reasons for non-acceptance of the resolution.

(8) The Executive Council may subject to any conditions laid down in the statutes delegate such of its powers as it deems fit to an officer or any other authority of the University or to a committee appointed by it.

(9) The Registrar shall be the Secretary of the Executive Council.

Academic
Council

23. (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and subject to the provisions of this Act, the statutes and the ordinances—

(a) shall have the control and general regulation of and be responsible for the maintenance of standards of instruction, education and research carried on or imparted in the University;

(b) may advise the Executive Council on all academic matters including matters relating to examinations conducted by the University; and

(c) shall have such powers and duties as may be prescribed.

(2) The Academic Council shall consist of the following members namely:-

(i) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairperson thereof;

(ii) the Deans of faculty or faculties;

(iii) all heads of departments of the University;

(iv) all professors of the University who are not head of departments;

(v) five persons of the academic eminence to be co-opted in the manner as may be prescribed;

(vi) five teachers to be selected in such manner as may be prescribed;

(vii) the Dean of students welfare;

(viii) the Librarian of the University.

24. (1) The Finance Committee shall consist of the following members:-

The Finance
Committee

- (a) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairperson thereof;
- (b) the Principal Secretary to the State Government in the Medical Education Department.
- (c) the Principal Secretary to the State Government in the Finance Department;
- (d) the Pro-Vice-Chancellor, if any
- (e) the Registrar;
- (f) the Controller of Examinations;
- (g) the Finance Officer who shall also be the Secretary of the committee.

(2) A member referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section (1) may instead of attending any meeting of the Finance Committee himself depute an officer not below the rank of a Special Secretary to the State Government and an officer so deputed shall also have the right to vote.

(3) The Finance Committee shall advise the Executive Council on matters relating to the administration of property and funds of the University. It shall having regard to the income and resource of the University fix limits for the total recurring and non-recurring expenditure for ensuring financial year and may, for any special reasons, revise during the financial year the limits of expenditures so fixed and the limits fixed shall be binding on the Executive Council.

(4) The Finance Committee shall have such other powers and duties as may be prescribed.

25. (1) The University shall have five faculties namely Medical, Dental, para medical science, Nursing and Pharmacy.

The Faculties

(2) Each faculty shall comprise such departments of teaching as may be prescribed and each department shall have such subjects of study as may be assigned or it by the Ordinances.

(3) There shall be a board of each faculty the constitution (including the term of office of its members) and powers and duties of which shall be such as may be prescribed.

(4) There shall be Dean of each faculty who shall be chosen from amongst the professors by rotation in order of seniority and shall hold office for three years.

(5) The Dean shall be the Chairperson of the board of faculty be responsible for:-

(a) The organization and conduct of the teaching and research work of departments comprised in the faculty; and

(b) The due observance of the Statutes, Ordinances and Regulations relating to the faculty.

(6) In each department of teaching in the University there shall be a head regulated by statutes.

(7) The head of department shall be responsible to the dean for the organization of teaching in the department and have such other powers and duties as may be provided in the Ordinances.

(8) There shall be constituted in accordance with the provisions of the Ordinances boards of studies in respect of different subjects of study and more than one subject may be assigned to one board of studies.

Other Authorities

26. The constitution, powers and duties of other authorities of University shall be such as may be prescribed.

CHAPTER-V

APPOINTMENT AND CONDITIONS OF SERVICE OF TEACHERS AND OFFICERS

Appointment of Teachers

27. (1) Subject to the provisions of this Act the teachers shall appointed by the Executive Council on the recommendation of a 'selection committee' in the manner hereinafter provided. The selection committee shall meet as often as necessary.

(2) The appointment of every such teacher not being an appointment under sub-section (3) shall in the first instance be on probation for one year which may be extended by the Executive Council for a period not exceeding one year:

Provided that no order of termination of service during or on the expiry of the period of probation shall be passed. In the case of a teacher of the University, except by the order of the Executive Council made after considering the report of the Vice-Chancellor and (unless the teacher is himself the head of the department) the head of the department concerned:

Provided further that no such order of termination shall be passed except after giving notice to the teacher concerned giving him an opportunity of explanation in respect of the grounds on which his services are proposed to be terminated:

Provided also that if a notice is given before the expiry of the period of probation or the extended period of probation as the case may be the period of probation shall stand extended until the final order of the Executive Council under the first proviso.

(3) In the case of a teacher of the University other than a professor the Vice-Chancellor in consultation with the Dean of the faculty and the head of the department concerned and an expert nominated by the Chancellor in that behalf may make officiating appointment in a vacancy or post likely to last for more than six months without such reference.

(4) The selection committee for the appointment of a teacher shall consist of,-

(i) the Vice-Chancellor who shall be the Chairman thereof;

(ii) the Head of Department of the concerned department;

(iii) in the case of a professor or an-associate professor three experts and in any other case, two experts to be nominated by the chancellor:

Provided that where the Chancellor is satisfied that in the special circumstances of the case a Selection Committee cannot be constituted in accordance with the above proviso, he may direct the constitution of the Selection Committee in such manner as he thinks fit.

(5) (a) A panel of six or more experts in each subject of study shall be drawn up by the Chancellor after consulting the corresponding faculty in Indian University or such academic bodies or research institutions in or outside Uttar Pradesh as the Chancellor may consider necessary. Every expert to be nominated by the Chancellor under sub-section (4) shall be a person whose name is borne on such panel.

(b) A panel referred to in clause (a) shall be revised every three years.

Explanation:-I- For the purposes of this sub-section a branch of subject in which a separate course of study is prescribed for a postgraduate degree shall be deemed to be a separate subject of study,

Explanation:- II- Where the post of teacher to be selected is common to more than one subject of study the expert may belong to either of such subject of study,

(c) The Chancellor may intimate in a specified order a large number of names of experts than required under sub-section (4) for serving as his nominees on the Selection Committee in such case on any person whose name appears higher in the

specified order not being available for a meeting of the Selection Committee a person whose name appears' nearest lower in the specified order shall be requested to serve on the committee,

(6) No recommendation made by a selection committee referred-to in sub-section (4) shall be considered to be valid unless one of the experts has agreed to such selection,

(7) Subject to the provisions of sub-section (6) the majority of the total membership of any selection committee shall form the quorum of such committee:

Provided that in the case of a Professor or an Associate Professor the persons present to form the quorum must include at least two experts.

(8) It shall be open to the selection committee to recommend one or more but not more than three names for each post.

(9) In the case of appointment of a teacher if the Executive Council does not agree with the recommendation made by the selection committee the Executive Council shall refer the matter to the Chancellor along with the reasons of such disagreement and his decision shall be final:

Provided that if the Executive Council does not take a decision on the recommendations of the selection committee within a period of four months from the date of the meeting of such committee then also the matter shall stand referred to the Chancellor and his decision shall be final.

(10) The disqualification of members of selection committee for appointment of teacher on the ground of interest for participating in the deliberations of such committee and other matters relating to appointment of such teachers shall be such as may be prescribed.

(11) No selection for any appointment under this Section shall be made except after advertisement of the vacancy in at least three issues of two newspapers having adequate circulation in Uttar Pradesh.

28. (1) Notwithstanding anything contained in any other provision this Act, an Assistant Professor substantively appointed in the University or an Associate Professor substantively appointed or promoted under this section in the University who has put in such qualifications as may be prescribed may be given personal promotion respectively to the post of Associate professor or professor.

Promotions to the post of Associate Professor and Professor

(2) The promotion under sub-section (1) shall be given on the recommendation of the selection committee constituted under sub-section (4) of section-27 in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

29. (1) Except as otherwise provided by statutes no salaried officer and teacher of the University shall be appointed except under a written contract which shall be consistent with the provisions of this Act, the Statutes and Ordinances.

Contract appointment of teachers of the University

(2) The original contract shall be lodged with the registrar and a copy thereof shall be furnished to the officer or teacher concerned.

(3) Notwithstanding anything contained in any contract or other instrument no teacher of the University shall have right of private practice except to such extent if any and subject to such conditions and restrictions as the State Government may by general or special order specify.

30. The University shall apply the pension and provident fund rules, for the benefit of its officers, teachers and other employees, in such manner and subject to such conditions as may be specified by general or special order by the State Government from time to time.

Pensions, Provident Fund etc.

Limits of
additional
remunerative work
permissible to
teachers

31. (1) The conditions regarding payment of remuneration to the teachers for any duties performed in an Indian University or anybody other than Public Service Commission shall be such as may be prescribed.

(2) No teacher shall at any time hold more than one remunerative office carrying duties other than teaching or duties connected with examination.

Explanation:- The words remunerative officers include the offices of warden or superintendent of a Hostel, Proctor, Games Superintendent and Librarian.

32 (1) Any dispute arising out of a contract of appointment shall be referred to a Tribunal of Arbitration which shall consist of one member nominated by the Executive Council one member nominated by the officer or teacher concerned and one member (who shall act as convener) nominated by the Chancellor.

(2) If for any reason a vacancy occurs in the office of a member of the Tribunal the appropriate person or body concerned shall nominate another person in accordance with provisions of sub-section (1) to fill the vacancy and the proceedings may be continued before the tribunal from the stage at which the vacancy is filled,

(3) The decision of the Tribunal shall be final and binding on the parties and shall not be questioned in any court.

(4) The tribunal of Arbitration shall have the powers:-

(a) to regulate its own procedure,

(b) to order re-instatement of the officer or teacher concerned, and

(c) to award salary to the officer or teacher concerned after deducting there from such income which such officer or teacher might have otherwise derived during his suspension, removal, dismissal or termination from service,

(5) Nothing contained in any law for the time being in force relating to arbitration shall apply to arbitration under this section.

(6) No suit or proceedings shall lie in any court in respect of any matter which is required by sub-section (1) to be referred to the Tribunal of Arbitration:

Provided that every decision of the Tribunal referred to in sub section (3) shall be executable by the lowest court having territorial jurisdiction as if it were a decree of that court.

CHAPTER-VI

STATUTES, ORDINANCES AND REGULATIONS

33. Subject to the provisions of this Ordinance, the statutes may provide for any matter relating to the University and shall in particular provide for:-

(a) the constitution power and duties of the authorities of the University;

(b) the election, appointment and term of office of the members of the authorities of the University including the continuance in office of the first members and the filling in of vacancies in their membership and all other matters relating to these authorities for which it may be necessary to provide;

(c) the powers and duties of the officers of the University;

(d) the classification and recruitment (including minimum qualification and experience), of teachers of the University the maintenance by them of their annual academic progress report the rules of conduct to be observed by them and their emoluments and other conditions of service (including provisions relating to compulsory retirement);

Tribunal of
Arbitration

Statutes

(e) the recruitment (including minimum qualifications and experience) and their emoluments and other conditions of service (including provisions relating to compulsory retirement) of persons appointment to other posts under the University;

(f) the constitution of a pension or provident fund or the establishment of an insurance scheme for the benefit of officers, teachers and other employees of the University;

(g) the institution of degrees and diplomas;

(h) the conferment of honorary degrees;

(i) the withdrawal of degrees and diplomas, certificates and other academic distinctions;

(j) the establishment amalgamation, abolition and reorganization of faculties;

(k) the establishment of departments of teaching in the faculties;

(l) the establishment, abolition and reorganization of hostels maintained by the University;

(m) the number, minimum qualification and experience, the emoluments and other conditions of services including the age of retirement and provisions relating to compulsory retirement of salaried employees (not being teachers) of the University and the preparation and maintenance of record of their service;

(n) the institution of scholarship, fellowships studentships, medals and prizes;

(o) the qualifications, conditions and manner of registration of graduates and the maintenance of a registration of registered graduates;

(p) the holding of convocation, if any, and

(q) all other matters which by this Act are to be or may be provided for by the statutes.

34. (1) The first Statutes of the University shall be made by the State Government by notification. Statutes how made

(2) The Executive Council may make new or additional statutes or may amend or repeal the statutes referred to in sub section. (1)

(3) The Executive Council shall not propose the draft of any statutes affecting the status, powers or constitutions of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing its opinion upon the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be submitted to the Chancellor.

(4) Every new statutes or addition to a statutes or any amendment or repeal of statutes shall be submitted to the Chancellor who may assent to it or withhold his assent there from or remit it to the Executive Council for further consideration.

(5) A Statute passed by the Executive Council shall have effect from the date it is assented to by the Chancellor or from such later date as may be specified by him.

(6) Notwithstanding anything contained in the forgoing sub-section the State Government may, in order to implement any decision taken by it in the interest of learning, teaching or research for benefit of teachers students or other staff, make new or additional statutes or amend or repeal the statutes referred to in sub-section (1) within a specified time and if the Executive Council fails to comply with such requirement of the State Government may with the assent of the Chancellor make new or additional statutes or amend or repeal the statutes referred to in sub-section (1).

(7) The Executive Council shall have no power to amend or repeal the statutes made by the State Government under sub-section (6) or to make new or additional statutes inconsistent with such statutes.

Ordinances

35. (1) Subject to the provisions of this Act and the statutes the ordinances may provide for any matter which by this Act or the statutes is to be or may be provided by the Ordinances.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1) the ordinance shall provided for the following matters namely,—

(a) The admission of students to the University and their enrolment and continuance as such.

(b) The courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and other academic distinctions of the University.

(c) The conditions under which students shall be admitted to the examination, degrees and diplomas of the University and shall be eligible for the award of such degrees and diplomas.

(d) The conditions of award of scholarships, fellowships, students bursaries, medals and prizes.

(e) The conditions of residence of students at the University and the management of hostels maintained by the University.

(f) The recognition and management of hostels not maintained by the University.

(g) The maintenance of discipline among the students of the University and the punishment.

(h) The fees which may be charged by the University.

(i) The conditions and mode of appointment and the duties of examining bodies, examiners, moderators, invigilators and tabulators.

(j) The conduct of examinations.

(k) The remuneration and allowances including traveling and daily allowance to be paid to persons employed on the business of the University.

(l) All other matters which by this Act or the statutes are to be or may be provided for by the Ordinances.

Ordinances how made

36. (1) The Executive Council may from time to time make new or additional Ordinances:

Provided that no Ordinances shall be made:-

(a) affecting the admission of student or prescribing examinations to be recognized as equivalent to the University examinations or the further qualifications mentioned in sub-section (1) of section 46 for admission to the degree courses of the University unless a draft of the same has been proposed by the Academic Council, or

(b) affecting the conditions and mode of appointment and duties of examiners and the conduct or standard of examinations or any course of study except in accordance with a proposal of the Faculty concerned and unless a draft of such Ordinance has been proposed by the academic council, or

(c) affecting the number, qualifications and emoluments of teacher of the University or the income or expenditure of the University unless a draft of the same has been approved by the State Government.

(2) The Executive Council shall not have power to amend any draft proposed by the Academic Council under this section but may reject it or return to the Academic Council for reconsideration either in whole or in part together with any amendments which the Executive Council may suggest.

(3) All ordinances made by the Executive Council shall have effect from such date as it may direct and shall be submitted as soon as may be to the Chancellor.

(4) The Chancellor may at any time signify to the Executive Council his disallowance of such Ordinances other than those referred to in clause (c) of the proviso to sub-section(1) and from the date of receipt by the Executive Council of intimation of such disallowance such Ordinance shall become void.

(5) The Chancellor may direct that the operation of any Ordinance other than those referred to in clause (c) of the proviso to sub-section (1) shall be suspended until he has an opportunity of exercising his power of disallowance. An order of suspension under this sub-section shall cease to have effect on the expiration of one month from of such order.

37. (1) Subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, an authority or other body of the University may make regulations regarding:-

Regulations

(a) laying down the procedure to be followed at its meeting and the number of members required to form the quorum.

(b) providing for all matters which by this Act, the Statutes or the Ordinance are to be provided by regulations; and

(c) providing for any other matter solely concerning such authority or body and not provided for by this Act, the statutes and the ordinance.

(2) The regulations made by any authority or other body of the University shall provide for the giving of notice to its members of the dates of meetings and the business to be transacted thereat and for keeping of record of the proceeding of such meetings.

(3) The Executive Council may direct any authority or other body of the University to cancel or to amend in such form as may be specified in the directions any regulation made by such authority or body and such authority or body shall thereupon cancel or amend the regulation accordingly.

(4) The Academic council may subject to the provisions of the Ordinance make regulations providing for the course of study for any examinations, degree or diploma of the University only after the Board of Faculty concerned has proposed a draft of the same.

(5) The Academic Council shall not have power to amend or reject any draft proposed by the Board of Faculty under sub-section (4) but may return it to the Board for further consideration together with its own suggestions.

CHAPTER- VII

ANNUAL REPORTS AND ACCOUNTS

38. (1) The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall be submitted a month before its annual meeting and the Board of Governors shall consider it in its annual meeting.

Annual Report

(2) The Board of Governors may by resolution make recommendations on such report and communicate the same to the Executive Council which may take such action thereon as it thinks fit.

39. (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and all accruing amount by the University from whatever source and all amounts disbursed or paid shall be entered in the accounts maintained by the University.

Accounts and Audit

(2) A copy of the annual accounts and the balance sheet shall be submitted to the State Government which shall cause the same to be audited.

(3) The annual accounts and the balance sheet audited shall be printed and copies thereof shall together with copies of the audit report be submitted by the Executive Council to the Board of Governors for audit.

(4) The Executive Council shall also prepare, before such date as may be prescribed, the budget for the ensuing year.

(5) Every item of new expenditure above such amounts as may be prescribed which is proposed to be included in the budget shall be referred by the Executive Council to the Finance committee which may make recommendations thereon.

(6) The Executive Council shall after considering the recommendations if any of the Finance Committee approve the budget finally.

(7) The annual accounts, the balance sheet and the audit report shall be considered by the Board of Governors at its annual meetings and the Board of Governors may by resolution make recommendations with reference thereto and communicate the same to the Executive Council.

(8) It shall not be lawful for the Vice-Chancellor or the Executive Council to incur any expenditure: -

(a) either not sanctioned in the budget or in the case of funds granted to the University subsequent to the sanction of the budget by the State Government or the Government of India or the University Grants Commissions or any international organization or foundations save in accordance with the terms of such grant:

Provided that notwithstanding anything in sub-section (7) of section 12, the Vice-Chancellor may in the case of fire, flood, excessive rainfall or other sudden or unforeseen circumstances, incur non-recurring expenditure not exceeding rupees 5.00 lacs and he shall immediately inform the State Government in respect of all such expenditure.

(b) on any litigation in opposition to any order of the Chancellor or of the State Government purporting to be made under this Act.

Surcharge

40. (1) An officer specified in any of the clauses (b) to (i) of section 16 shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of any money or property of the University if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or misconduct.

(2) The procedure of surcharge and the manner of recovery of the amount involved in such loss, waste or misapplications shall be such as may be prescribed.

CHAPTER – VIII

MISCELLANEOUS

Manner of appointment of officers and members of authorities

41.(1) Except as expressly provided by this Act or the statutes officers of the University and members of authorities of the University shall so far as may be chosen by methods other than election.

(2) Where a provision is made in this Act or the statutes for any appointment by rotation or according to seniority or other qualification the manner of rotation and determination of seniority and other qualification shall be such may be prescribed.

(3) Where a provision for an election is made in this Act, such election shall be conducted according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote and where provisions for an election is made in the statutes it shall be held in such manner as the statutes may provide.

(4) Except as expressly provided by this Act, no officers or employee of the University shall be eligible to seek election to any authority or other body of the University.

Filling of casual vacancies

42. (1) Any casual vacancy among the members other than *ex-officio* members of any authority or body of the University shall be filled in the same manner in which the members whose vacancy is to be filled up was chosen and the person filling the vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.

(2) A person who is a member of any authority of the University as a representative of another body, whether of the University or outside shall retain his seat on such authority for only so long as he continues to be the representative of such body.

43. (1) No act or proceeding of any authority or body or committee of the University shall be invalid merely by reason of,-

Proceeding not to be invalidated by vacancy etc.

- (a) any vacancy or defect in the constitution thereof;
- (b) some person having taken part in the proceeding who was entitled to do so; or.
- (c) any defect in the election, nomination or appointment of a person acting as members thereof; or
- (d) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

44. The Board of Governors may by a two third majority of the members present and voting remove any person from membership of any authority or other body of the University upon the ground that such person has been convicted of any offence involving moral turpitude or upon the ground that he has been guilty of scandalous conduct or had behaved in a manner unbecoming of a member of the University and may upon the same ground withdraw from any person any degree or certificate conferred or granted by the University.

Removal from membership of the University

45. If any question arises whether any person has been duly elected or appointed as or is entitled to be a member of any authority or other body of the University (including and question as to the validity of a Statute, Ordinance or Regulation not being a Statute Ordinance made or approved by the State Government or by the Chancellor) is in conformity with this Act or the statutes or the ordinances made thereunder the matter shall be referred to the Chancellor and the decision of the Chancellor thereon shall be final:

Reference to the Chancellor

Provided that no reference under this section shall be made:—

- (a) more than three months after the date when the question could have been raised for the first time;
- (b) by any person other than authority or officer of the University or a person aggrieved:

Provided further that the Chancellor may in exceptional circumstances,—

- (i) act *suo motu* or entertain a reference after the expiry of the period mentioned in the proceeding proviso.
- (ii) where the matter referred relates to a dispute about the election and the eligibility of the persons so elected is in doubt pass such orders of stay as he thinks just and expedient.

46. (1) A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding or resolution of any authority or committee of the University or other documents in possession of the University or any entry in any register duly maintained by the University if certified by the Registrar shall be received as *prima facie* evidence of such receipt, application, notice, order, proceedings, resolution, or documents or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein recorded where the original thereof would if produced have been admissible in evidence.

Mode of proof of University record

(2) No officer or servant of the University shall in any proceedings to which the University is not a party be required to produce any document, register or other record of the University the contents of which can be proved under sub-section (1) by a certified copy or to appear as a witness to prove the matters and transactions recorded therein unless by order of the court made for special cause.

CHAPTER-IX

TRANSITORY PROVISION

Constitution of authority

47. (1) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act and the statutes :-

(a) The First Board of Governors shall consist of not more than nine members who shall be nominated by the Chancellor and they shall hold office for a term of three years, or till the Board is constituted as per the provisions contained in sub-section (1) of section 19 of this Act;

(b) The first Executive Council, the first Finance Committee and the first Academic Council shall be constituted by the Chancellor for a period of three years, or till the said bodies are constituted as per the provisions contained in Section 19; and

(c) The first Vice-Chancellor shall be appointed by the State Government, who shall hold office until a regular appointment is made in accordance with provisions contained in section 11.

Fixation of Service Condition, Pay & Allowances etc. of Faculty & Non-faculty officers and staff of University

48. The service condition, qualification, experience, pay scales & allowances etc. admissible to the officers & employees (teaching & non-teaching staff) of the University shall be same as admissible to the officers & employees (teaching & non-teaching staff), of the Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow.

Aims & Objects

49. (a) Notwithstanding the conversion of U.P. Rural Institute of Medical Sciences & Research, Saifai, Etawah into U.P. Medical Sciences University, Saifai, Etawah, all appointment made, orders issued, degrees or diplomas conferred.

or certificates issued, privileges granted, or other things done (including registration of graduates) under any such enactment shall be deemed to have been respectively made issued conferred granted or done under the corresponding provisions by or under this Ordinance continue in force unless and until they are superseded by any order made under this Act.

(b) all officers & employees of this institute will be the officers & employees of the university.

(c) all rules & service conditions related to officers & employees of institute shall continue till it is amended or changed by any order of the State Govt./University.

(d) The provisions relating for providing specialized medical & health services to the rural population and free specialized medical and health services to persons living below the poverty line as enumerated in U.P. Rural Institute of Medical Sciences & Research, Saifai, Act 2005 shall remain enforce after the institute is converted to the Medical University.

Power to remove difficulties

50. (1) The State Government may for the purposes of removing any difficulties particularly in relation to the transition from the provisions of the Uttar Pradesh State University Act, 1973 to the provisions of this Act direct that the provisions of this Act shall during such period as may be specified in the order have effect subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both the Houses of the State Legislature as soon may be after it is made.

(3) No order made under sub-section (1) shall be called in questions in any court on the ground that no difficulty as is referred to in that sub-section existed or was required to be removed.

51. (1) The Uttar Pradesh Rural Institute of Medical Sciences and Research, Saifai, Etawah Act, 2005 is hereby repealed.

Repeal of U.P Act no. 27 of 2005 and saving

(2) Save as otherwise provided in this Act the repeal under sub-section (1) shall not be held to prejudice or effect the general application are section 6 of the Uttar Pradesh general clauses Act. 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) with regard to the effect of repeal.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to providing medical facilities to the different kind of patients suffering from various diseases and to generate skilled medical teachers in the State, it has become necessary to establish a Medical University at Saifai, Etawah in the State. It has, therefore, been decided to make a law to provide for the establishment of a new Medical University by the name of the Uttar Pradesh University of Medical Sciences, Saifai, Etawah in place of the existing Rural Institute of Medical Sciences and Research, Saifai, Etawah Uttar Pradesh.

The Uttar Pradesh University of Medical Sciences, Saifai, Etawah, Bill, 2015 is introduced accordingly.

By order,
RAJESH SINGH,
Vishesh Sachiv.